

उधारदाता के रूप में
ऑक्सिलो फ़िनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
और
अनुसूची 2 में उधारकर्ता के रूप में छात्र के तौर पर नामित व्यक्ति
और
अनुसूची 2 में सह-उधारकर्ता के रूप में नामित व्यक्ति
के बीच
शिक्षा ऋण समझौता

सुविधा समझौता

यह **सुविधा समझौता** (जिसे “समझौता”) कहा जाएगा अनुसूची 2 में बताए गए स्थान पर और अनुसूची 2 में दिए गए दिनांक को किया जा रहा है। यह समझौता इन पक्षों के बीच है:

1. **ऑक्सिलो फ़िनसर्व प्राइवेट लिमिटेड**, पहला पक्ष जो एक गैर-बैंकिंग कंपनी है और कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) के तहत पंजीकृत है। जिसका पंजीकृत कार्यालय: ऑफ़िस नंबर 63, छठी मंज़िल, कलपतरु स्कायर, कौडिविटा रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई – 400059 है। (इस समझौते में ऑक्सिलो फ़िनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को “**उधारदाता**” कहा गया है। यह शब्द इस कंपनी के साथ-साथ इसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरितियों और असाइन किए गए व्यक्तियों को भी शामिल करता है) यह उधारदाता इस समझौते का **पहला पक्ष** है;
2. **दूसरा पक्ष** वह व्यक्ति है, जिसका नाम **अनुसूची 2 में “छात्र” के रूप में** लिखा गया है। अनुसूची 2 में इस छात्र के बारे में सारी जानकारी दी गई है। इस समझौते में उसे ‘छात्र’ कहा जाएगा। जब भी इस समझौते में छात्र शब्द का प्रयोग होगा, तो इसमें छात्र के वारिस, निष्पादक और अनुमत्त उत्तराधिकारी भी शामिल माने जाएंगे, जब तक कि यह समझौते के संदर्भ या अर्थ में विपरीत न हो।
3. **तीसरा पक्ष** वह व्यक्ति या लोग हैं, जिनका नाम **अनुसूची 2 में “सह-उधारकर्ता” के रूप में** लिखा गया है। इन सह-उधारकर्ताओं के बारे में सारी जानकारी भी अनुसूची 2 में दी गई है। इस समझौते में उन्हें सह-उधारकर्ता कहा जाएगा। जब भी इस समझौते में सह-उधारकर्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें सह-उधारकर्ता के वारिस, निष्पादक, अनुमत्त उत्तराधिकारी भी शामिल माने जाएंगे, जब तक कि यह समझौते के संदर्भ या अर्थ में विपरीत न हो।

इस समझौते में, छात्र और उधारकर्ता को अलग-अलग “**उधारकर्ता**” कहा जाएगा। जब उन सभी की बात एक साथ की जाएगी, तो “**उधारकर्तागण**” कहा जाएगा। उधारकर्तागण और उधारदाता कंपनी को अलग-अलग “**पक्ष**” और एक साथ “**पक्षगण**” कहा जाएगा।

उधारदाता कंपनी का काम है शिक्षा के लिए ऋण लेना। वे भारत में या विदेश में ज़रूरत के हिसाब से मदद करती है। यह मदद किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए दी जाती है;

उधारकर्तागण ने उधारदाता कंपनी को बताया है कि छात्र एक विशेष शैक्षणिक संस्थान (जिसके बारे में नीचे बताया गया है) में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, या वहाँ पढ़ रहे हैं या वहाँ से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं;

उधारकर्तागण ने उधारदाता कंपनी से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है। इस ऋण का उद्देश्य है ट्यूशन फ़ीस का भुगतान या उसकी प्रतिपूर्ति, किताबें, स्टेशनरी/पढ़ने की सामग्री खरीदने का खर्च, रहने का खर्च, हवाई यात्रा का खर्च, परीक्षा शुल्क, यात्रा और बीमा (जीवन बीमा, यात्रा बीमा और अन्य सामान्य बीमा जो वित्त दस्तावेज़ों के अनुसार लिया गया हो) और छात्र के संस्थान में उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य खर्च (**“उद्देश्य”**); और

उधारदाता कंपनी ने आवेदन की जांच की है और पाया है कि उधारकर्तागण ऋण पाने के योग्य हैं। कंपनी ने एक स्वीकृति पत्र (जिसकी बारे में नीचे बताया गया है) के द्वारा ऋण मंजूर किया है। उधारकर्तागण ने इस समझौते में दी गई सभी शर्तों को मानने की सहमति दे दी है।

जबकि उधारदाता कंपनी चाहती है कि ऊपर बताई गई सभी शर्तें और नियम एक औपचारिक समझौते के रूप में लिखी जाएँ।

इसलिए अब, ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और अन्य महत्वपूर्ण कारणों की वजह से, जिनकी पर्याप्तता और प्राप्ति को यहाँ स्वीकार किया जाता है, सभी पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में:

“बेंचमार्क दर” वह दर है जो अनुसूची 2 में बताई गई है। उधारदाता इस दर का उपयोग ब्याज दर की गणना करने के लिए करता है। यह दर समय-समय पर बदल सकती है। यह बाज़ार की स्थिति, किसी सरकारी संस्था के दिशा-निर्देश, और/या उधारदाता की अपनी नीतियों के आधार पर तय की जाती है।

“टूटी अवधि” का मतलब है वह समय जो वितरण की तारीख से शुरू होकर पहली देय तिथि तक चलता है। अगर वितरण की तारीख और पहली देय तिथि के बीच 30 (तीस) कैउधारदाता दिनों से ज़्यादा का अंतर है, तो टूटी अवधि वितरण की तारीख से शुरू होकर पहली देय तारीख से 30 (तीस) कैउधारदाता दिन पहले तक मानी जाएगी।

“व्यावसायिक दिवस” का मतलब है कोई भी ऐसा दिन जिस दिन उधारदाता का संबंधित कार्यालय काम के लिए खुला हो।

“क्रेडिट सूचना कंपनी” का मतलब है ऐसी कंपनी जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास क्रेडिट कंपनी (नियमन) अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत है। इसमें ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल (CIBIL) लिमिटेड, सीआरआईएफ (CRIF) हाई मार्क क्रेडिट इंफ़ॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफ़ैक्स क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईएस) (ECIS) और एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनी ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

“डेटा संरक्षण कानून” का मतलब है वे सभी कानून और नियम जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा, उसके प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें निम्न शामिल हैं (लेकिन यह सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है):

- i. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) और इसके तहत बनाए गए नियम;
- ii. बैंकिंग उद्योग के सभी अन्य दिशानिर्देश (चाहे वे कानूनी हों या गैर-कानूनी) या आचार संहिता जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा, प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या अनुप्रयोग से संबंधित है। ये दिशानिर्देश किसी भी नियामक द्वारा किसी भी पक्ष के लिए बनाए गए हो सकते हैं; और
- iii. कोई भी अन्य लागू कानून जो केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा, प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या अनुप्रयोग से संबंधित है।

“डिफॉल्ट दंड शुल्क” का मतलब वही होगा, जो खंड 10.2.1 में इस शब्द को दिया गया है।

“डिफॉल्ट दंड शुल्क दर” का मतलब अनुसूची 1 में निर्धारित डिफॉल्ट दर शुल्क दर होगा।

“वितरण” का मतलब है पहला वितरण और उसके बाद ऋण के तहत किया जाने वाला हर वितरण।

“वितरण की तारीख” का मतलब इस समझौते के अनुसार प्रत्येक संवितरण की तारीख होगी। वितरण तारीख वह तारीख होगी जिस दिन उधारदाता की प्रणालियों में वितरण को अधिकृत किया जाता है, न कि वह वितरण तारीख जिस दिन उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को वास्तव में धनराशि प्राप्त हो।

“देय की तारीख” का मतलब है वह कैउधारदाता महीने की वह तारीख होगी जो उधारदाता और उधारकर्ता के बीच पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पूर्व-ईएमआई/ईएमआई के पुनर्भुगतान की तारीख के रूप में सहमत हो।

“ईएमआई” का मतलब है समान मासिक किश्त। यह वह राशि है जो उधारकर्ता को उधारदाता को हर महीने चुकानी होती है। यह किस्त मोरेटोरियम अवधि (यदि लागू हो) के बाद शुरू होती है। इसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अगर पुनर्भुगतान सूची में बताया गया है, तो ईएमआई की राशि पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के बाद बढ़ाई जा सकती है।

“डिफॉल्ट घटना” का मतलब है ऐसी कोई घटना या परिस्थिति जो खंड 17 (डिफॉल्ट घटना) में बताई गई है।

“वित्तीय दस्तावेज़” का मतलब है वे सभी दस्तावेज़ जो इस ऋण से संबंधित हैं। इनमें यह शामिल है – यह समझौता, स्वीकृति पत्र, आवेदन फॉर्म, सुरक्षा दस्तावेज़, वचनपत्र, क्षतिपूर्ति, पूरक समझौते, संशोधन, बदलाव, परिशिष्ट, संलग्नक, अनुलग्नक और अनुसूचियाँ। यह सभी दस्तावेज़ या तो पक्षों के बीच हस्ताक्षरित किए गए हैं या उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं के

साथ साझा किए गए हैं। इन्हें पुनर्भुगतान अवधि के दौरान समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। ये सभी इस समझौते का हिस्सा माने जाएंगे।

“पहली देय तारीख” का मतलब है वितरण के बाद आने वाली तारीख जब आपको भुगतान करना है। यह हर वितरण के लिए अलग हो सकती है।

“प्रारंभिक वितरण” का मतलब है इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया पहला वितरण।

“संस्थान” का मतलब है वह शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय: (i) जिसका विवरण अनुसूची 2 में दिया गया है (जिसके बारे में नीचे बताया गया है), या (ii) जिसके बारे में ऋण के वितरण के बाद उधारदाता को बताया जा सकता है।

“ब्याज” वह अतिरिक्त पैसा है जो आपको मूल ऋण राशि के ऊपर चुकाना होगा।

“ब्याज दर” का मतलब है ऋण पर लागू होने वाली ब्याज दर, जो अनुसूची 2 में दी गई है।

“उधार देने वाला ऑफिस” का मतलब है उधारदाता का वह ऑफिस जिसका पता अनुसूची 2 में दिया गया है।

“ऋण” का वही अर्थ वही होगा, जो खंड 2 (ऋण) में इस शब्द को दिया गया है।

“महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव” का मतलब है कोई ऐसी घटना या परिस्थिति जिसका असर उधारदाता की राय में निम्न पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल हो सकता है:

- क. उधारदाता की वित्तीय स्थिति, व्यवसाय, कार्यप्रणाली, प्रदर्शन, संपत्ति या भविष्य की संभावनाओं पर; या
- ख. उधारदाता की क्षमता पर, जिससे वह वित्त संबंधी दस्तावेजों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर सके या अपने अधिकारों का उपयोग कर सके; या
- ग. वित्त संबंधी दस्तावेजों के किसी भी प्रावधान की वैधता, मान्यता या लागू करने की क्षमता पर (इसमें उधारदाता की किसी भी उपाय को लागू करने की क्षमता भी शामिल है)।

“मोराटोरियम अवधि” यह वह समय होता है जो अनुसूची 2 में बताया गया है। इस अवधि के दौरान, उधारकर्ता केवल पूर्व-ईएमआई का भुगतान करेंगे। इस दौरान उधारकर्ता पर मूल राशि और/या पूरा या आंशिक ब्याज चुकाने की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। इस अवधि के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है या फिर दोनों पक्षों के बीच अन्यथा लिखित में तय की जा सकती है।

“एनएसीएच” का अर्थ राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस है। यह राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है जिसका उपयोग आवधिक लेनदेन करने के लिए किया जाता है।

“एनईएफटी” का मतलब है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम।

“व्यक्तिगत जानकारी” यह वह जानकारी है जो आपकी पहचान से जुड़ी होती है। इसकी सटीक परिभाषा डेटा संरक्षण कानूनों में दी गई है।

“मूल राशि” का मतलब है वह वास्तविक राशि है जो उधारदाता (बैंक या वित्तीय संस्था) ने उधारकर्ता को दी है। यह राशि समझौते की शर्तों के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

“बकाया राशि” से तात्पर्य उधारदाता द्वारा उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार बकाया, देय या अदेय सभी राशियों से होगा, जिसमें निम्नलिखित बिना किसी सीमा के शामिल है:

क) ऋण और ऋण पर सभी ब्याज, डिफॉल्ट दंडात्मक शुल्क, प्रीपेमेंट पर प्रीमियम, सभी फीस, कमीशन, शुल्क और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की सभी/ देनदारियां और दायित्व, जिसमें नुकसानपूर्ति, व्यय, ऋण प्रसंस्करण, प्रतिबद्धता और वित्त पोषण दस्तावेजों के तहत, उसके संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाली कोई अन्य फीस शामिल हैं;

ख) सुरक्षा को संरक्षित रखने या सुरक्षा में शामिल संपत्ति की रक्षा के लिए उधारदाता द्वारा अग्रिम की गई कोई भी राशि; और

ग) बकाया राशि के संग्रह या प्रवर्तन के लिए किसी भी कार्यवाही में सुरक्षा की पुनर्प्राप्ति, होल्टिंग, बिक्री या किराये के लिए तैयारी, बिक्री या सुरक्षा की प्राप्ति, या सुरक्षा दस्तावेजों और/या वित्त पोषण दस्तावेजों/ के तहत उधारदाता के अधिकारों के किसी भी प्रयोग के साथ-साथ कानूनी फीस और अदालती शुल्क शामिल होंगे।

“अतिदेय राशि” का अर्थ वही होगा जो खंड 10.2.1 (डिफॉल्ट दंड शुल्क) में इस शब्द को दिया गया है।

“पूर्व ईएमआई” का अर्थ उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा मोरेटोरियम अवधि के दौरान देय मासिक किस्त होगी, जो संवितरण तिथि से लेकर ईएमआई प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पहले की तिथि तक की अवधि के लिए उधारदाता द्वारा अनुसूची 2 में बताई गई दर पर लगाए गए साधारण या आंशिक ब्याज पर आधारित होगी।

“पूर्व-भुगतान शुल्क” का मतलब है कि अगर आप अपना ऋण समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो उधारदाता आप से कुछ अतिरिक्त शुल्क ले सकता है। इस शुल्क की जानकारी अनुसूची 1 में दी गई है।

“संभावित डिफॉल्ट की घटना” का मतलब खंड 17 में (डिफॉल्ट की घटना) में निर्दिष्ट कोई भी घटना या परिस्थिति है जो (अनुग्रह अवधि की समाप्ति, नोटिस देने, वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत कोई निर्धारण करने या इनमें से किसी के भी संयोजन के साथ) एक डिफॉल्ट की घटना होगी।

“उद्देश्य” का मतलब वही होगा, जो इस प्रस्तावना में दिया गया है।

“आरबीआई” का मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक होगा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, यथा संशोधित के तहत स्थापित किया गया है।

“पुनर्भुगतान अनुसूची” का मतलब एक वह पुनर्भुगतान अनुसूची है, जो प्रारंभिक वितरण के समय या उसके आस-पास उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के साथ साझा की गई है। इसमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

“आरटीजीएस” का मतलब है रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट।

“मंजूरी पत्र” का मतलब अर्थ उधारकर्ता उधारकर्ताओं को/उधारदाता द्वारा विधिवत दिनांक पर अनुसूची 2 में उल्लेखित तिथि को जारी किया गया मंजूरी पत्र होगा। “मंजूरी पत्र ” पद में मंजूरी पत्र के सभी संशोधन शामिल होंगे;

“सुरक्षा या जमानत” का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 3.1 में बताया गया है। इसमें वो अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी भी शामिल मानी जाएगी जो अनुच्छेद 3.2 के अनुसार दी जा सकती है।

“सुरक्षा दस्तावेज़” मतलब इस समझौते की तारीख के आसपास या उस तारीख को उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए उन सभी दस्तावेजों और समझौतों से होगा जिनके द्वारा इस समझौते की खंड 3 में वर्णित सुरक्षा का सृजन, रखरखाव और परिपूर्णता सुनिश्चित की जाती है, जिसमें उस सुरक्षा पर स्संधि के पक्ष में उधारदाता के लिए सुरक्षा हित पैदा करने वाला कोई भी साधन, दस्तावेज या करार शामिल है, साथ ही उन सभी साधनों, दस्तावेजों या करारों में शामिल है जो इनमें से किसी के साथ या उसके अनुसरण में निष्पादित किए गए हैं या किए जाएंगे और उधारदाता द्वारा ऐसे के रूप में नामित किया गया कोई भी दस्तावेज़।

“संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी” का मतलब है वह वह व्यक्तिगत डेटा जिसे डेटा सुरक्षा कानून के तहत संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा या जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

“अवधि” यह वह अवधि (महीनों में बताई गई है) है जिसके भीतर आपको पूरा ऋण चुकाना है। जैसा अनुसूची 2 में बताया गया है।

1.2 निर्माण

1.2.1 जब तक कि विपरीत संकेत न दिखाई दे, इस समझौते में किसी भी संदर्भ का अर्थ है:

(क) इस अनुबंध में जहाँ भी **“उधारकर्ता”** की ज़िम्मेदारियों की बात होगी, वह छात्र और सभी सह-उधारकर्ताओं की संयुक्त और अलग-अलग ज़िम्मेदारी होगी. यानि, हर कोई पूरे कर्ज़ के लिए ज़िम्मेदार है;

(ख) जब भी किसी **“वित्तीय दस्तावेज़”** या अन्य समझौते की बात होगी, तो उसमें उस दस्तावेज़ में किए गए सभी संशोधन, परिवर्धन या विस्तार भी शामिल होंगे;

(ग) एक **“व्यक्ति”** में शामिल है कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सरकारी प्राधिकरण या उसका राजनीतिक उपखंड, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एजेंसी या प्राधिकरण (प्रत्येक मामले में, चाहे अलग कानूनी व्यक्तित्व हो या नहीं), कोई भी संघ, ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम, सह-व्यवस्था, साझेदारी (चाहे अलग कानूनी व्यक्तित्व हो या नहीं), संयुक्त स्टॉक कंपनी, ट्रस्ट या अनिगमित संगठन और इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और व्यक्ति के मामले में उस व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, प्रशासक, निष्पादक और वारिस शामिल होंगे और ट्रस्ट के मामले में उस समय के लिए ट्रस्टी या ट्रस्टीगण शामिल होंगे;

(घ) **“शामिल है”** या **“शामिल करना”** शब्द को बिना किसी सीमा के समझा जाना है;

(ड.) कानून के किसी प्रावधान का संदर्भ उस प्रावधान के संशोधित या पुनः अधिनियमित रूप से है।

- 1.2.2 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और उधारदाता के बीच किसी भी मामले की महत्वता, उचितता या स्थिरता के संबंध में किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, जिसमें किसी भी घटना, घटनाक्रम, अनुरोध, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज़, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, डिफ़ॉल्ट, दावे, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट या अन्यथा शामिल है, उपरोक्त में से किसी की भी महत्वता, उचितता या स्थिरता के संबंध में उधारदाता की राय अंतिम और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं पर बाध्यकारी होगी।
- 1.2.3 किसी भी मामले के लिए उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा उधारदाता से आवश्यक सभी अनुमोदन, अनुमतियाँ, सहमतियाँ या स्वीकृतियाँ उधारदाता की “पूर्व और लिखित” अनुमोदन, अनुमति, सहमति, या स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- 1.2.4 अनुबंध में दिए गए खंडों और अनुसूचियों के शीर्षक सिर्फ आसानी से समझने के लिए हैं। इनका इस्तेमाल अनुबंध की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- 1.2.5 अगर कोई डिफ़ॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह तब तक **“जारी”** मानी जाएगी जब तक उसे ठीक न किया जाए या माफ़ न किया जाए। अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, तो वह माफ़ न किया जाने तक **“जारी”** रहेगा।
- 1.2.6 एकवचन संख्या दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन शामिल होगा और इसके विपरीत भी।
- 1.2.7 जो शब्द और संक्षिप्त रूप तकनीकी, व्यापार या वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रचलित हैं, उनका इस समझौते में उन्हीं अर्थों में प्रयोग किया गया है।

2. ऋण (लोन)

- 2.1 इस समझौते और मंजूरी पत्र के नियम और शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता उधारदाता से ऋण लेने के लिए सहमत है और उधारदाता उधारकर्ता को मंजूर की गई ऋण राशि (“लोन”) देने के लिए सहमत है। यह ऋण उधारकर्ता द्वारा केवल निर्धारित नियम और शर्तों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा।
- 2.2 उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि उधारदाता को इस समझौते या अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के दिन ही ऋण राशि देने की कोई बाध्यता नहीं है। उधारदाता अपनी सभी प्रक्रियाओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने और उधारकर्ता द्वारा सभी आवश्यकताओं का पालन करने के बाद ही, किसी भी दिन ऋण राशि दे सकता है।
- 2.3 यह समझौता उधारकर्ताओं पर तब तक बाध्यकारी रहेगा जब तक कोई भी बकाया राशि अदा नहीं हो जाती।

3. ऋण के लिए सुरक्षा

3.1 सुरक्षा

जैसा भी मामला हो, बकाया राशि का भुगतान, पुनर्भुगतान, या प्रतिपूर्ति, अनुसूची 2 में निर्धारित प्रतिभूति के रूप में प्रदान की गई संपत्तियों पर सुरक्षा हित के निर्माण और पूर्णता द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। इसे ("सुरक्षा या प्रतिभूति") कहा जाएगा।

3.2 अतिरिक्त सुरक्षा

यदि इस समझौते के दौरान किसी भी समय उधारदाता को लगता है कि उधारकर्ता द्वारा दी गई सुरक्षा या प्रतिभूति बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त हो गई है, तो उधारदाता उधारकर्ता को इस बारे में सूचित करेगा। उधारकर्ता को ऐसी सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर, उधारदाता की संतुष्टि के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी होगी जो उधारदाता को स्वीकार्य हो।

3.3 सुरक्षा न्यासी

उधारकर्ता सहमत हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि उधारदाता को सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए एक प्रतिभूति न्यासी या किसी तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसमें उधारदाता के पक्ष में सुरक्षित अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख शामिल हैं, जिसमें उसके या उसके किसी एजेंट के पास, उधारदाता के लाभकारी हित के लिए, और इस समझौते और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत प्रतिभूति के निर्माण के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना शामिल है, और उधारदाता की ओर से अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिभूति न्यासी को भुगतान किए जाने वाले किसी भी शुल्क को उधारकर्ताओं के खाते से डेबिट किया जाएगा।

4. पूर्व शर्तें

4.1 प्रभावी होने की पूर्व शर्तें

वित्तीय संबंधों के अनुसार ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, उधारदाता का दायित्व इस समझौते और संबंधित दस्तावेजों में 'ऋण वितरण शर्तें' के रूप में उल्लिखित सभी दस्तावेज और अन्य सबूतों की प्राप्ति पर सक्रिय होगा। उधारदाता का विशेष विवेकाधिकार में, 'ऋण वितरण शर्तें' में से किसी भी शर्त को माफ़ करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5. ऋण वितरण

5.1 ऋण वितरण

5.1.1 उधारदाता ऋण का वितरण एक या अधिक किस्तों में या अपने हिसाब से किसी अन्य तरीके से कर सकता है। यह तब होगा जब उधारकर्ता मंजूरी पत्र और इस समझौते की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5.1.2 ऋण या उसका कोई हिस्सा सीधे संस्थान को, या उधारकर्ताओं को, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को, या किसी अन्य तीसरे पक्ष को दिया जा सकता है। ऐसा भुगतान उधारकर्ता के निर्देश पर किया जाएगा और यह माना जाएगा कि उधारदाता ने उधारकर्ताओं को ही भुगतान किया है। किसी एक उधारकर्ता/संस्थान/अधिकृत प्रतिनिधि/तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की पुष्टि ऋण के

भुगतान का पर्याप्त प्रमाण होगी और अन्य उधारकर्ताओं पर भी बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता ऋण के उपयोग या भुगतान के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वादा करते हैं।

- 5.1.3 इस समझौते के अनुसार, सभी भुगतान चेक/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "केवल अकाउंट पेयी" के रूप में विधिवत क्रॉस किए गए /आरटीजीएस/एनईएफटी या उधारदाता द्वारा सहमत किसी अन्य तरीके से किए जाएंगे। इस पर लगने वाले किसी भी शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

5.2 ऋण वितरण अनुरोध की प्रस्तुति

- 5.2.1 छात्र या कोई भी सह-उधारकर्ता ऋण राशि के किसी भाग या पूरी राशि के वितरण के लिए अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध प्रस्तावित वितरण तिथि से कम से कम 5 कार्य दिवस पहले उधारदाता को देना होगा।
- 5.2.2 कोई भी एक उधारकर्ता पहले और/या बाद के ऋण वितरण के लिए उधारदाता से या तो उधारदाता के पंजीकृत उधारकर्ता के ईमेल से मेल भेजकर, उस ईमेल की स्कैन की हुई कॉपी से, फ़ैक्स द्वारा, किसी भी उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा या उधारदाता द्वारा मान्य किसी अन्य तरीके से अनुरोध कर सकता है। ये सभी तरीके उधारकर्ताओं द्वारा अधिकृत माने जाएंगे। हालांकि, अगर उधारदाता को लगता है कि उधारकर्ताओं ने मंजूरी पत्र या इस समझौते की किसी शर्त का पालन नहीं किया है, तो उधारदाता अपने विवेक से, बिना कोई कारण बताए, पूरे या किसी भाग के ऋण वितरण से इनकार कर सकता है।
- 5.2.3 ऊपर खंड 5.2.2 में निर्धारित विधि के अतिरिक्त, उधारदाता उधारकर्ताओं को उधारदाता के ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल के माध्यम से ऋण के संवितरण का अनुरोध करने का विकल्प प्रदान कर सकता है, जिसमें प्रत्येक उधारकर्ता को उपरोक्त ग्राहक पोर्टल तक पहुंच के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा और उक्त ग्राहक पोर्टल पर प्रदान किए गए अनुरोध फॉर्म के माध्यम से ऋण के आगे के संवितरण का अनुरोध करने का विकल्प होगा।
- 5.2.4 उधारकर्ता उधारदाता को अधिकार देते हैं कि वह किसी भी एक उधारकर्ता के ईमेल या पत्र द्वारा किए गए अनुरोधों पर कार्रवाई कर सकता है, जैसे किसी पत्र/प्रमाणपत्र/ऋण समाप्ति पत्र को जारी करना, संपर्क विवरण में बदलाव (जैसे ईमेल, फोन नंबर, पता), ऋण अवधि को कम या ज्यादा करना, मासिक किस्त को कम या ज्यादा करना, चुकौती का तरीका बदलना, ऋण राशि बढ़ाना, मासिक किस्त की तारीख बदलना, मासिक किस्तों की अदला-बदली, NACH/पोस्ट डेटेड चेक द्वारा चुकौती और कोई अन्य अनुरोध।
- 5.2.5 अगर ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता लिखित रूप में स्वीकृत ऋण राशि बढ़ाने का अनुरोध करते हैं, तो उधारदाता अपने विवेक से इस अनुरोध पर विचार कर सकता है। अगर उधारदाता ऋण राशि बढ़ाने के लिए सहमत होता है, तो उधारकर्ताओं को उधारकर्ता द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज़, पूरक विलेख और लेख तैयार करने होंगे। उधारदाता अपने विवेक से अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकता है।

5.3 ऋण वितरण अनुरोध की पूर्णता

5.3.1 हर ऋण वितरण अनुरोध अटल या स्थिर होगा।

5.3.2 उधारदाता किसी भी ऋण वितरण अनुरोध और उससे जुड़े दस्तावेजों या जानकारी पर भरोसा कर सकता है और उसके अनुसार काम कर सकता है, अगर वे देखने में पूरे, असली और उधारकर्ता या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ठीक से हस्ताक्षरित लगते हैं। यह तब भी लागू होगा जब बाद में पता चले कि ये दस्तावेज असली नहीं थे, ठीक से हस्ताक्षरित नहीं थे या किसी तरह से गलत थे।

5.4 शुल्कों का समायोजन

उधारदाता उधारकर्ता को दी जाने वाली ऋण राशि में से नीचे दी गई राशियाँ काट सकता है:

- i. इस समझौते के खंड 13.1 और 13.5 के तहत देय राशि;
- ii. प्रोसेसिंग शुल्क;
- iii. संपत्ति सत्यापन शुल्क;
- iv. डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जारी करने का शुल्क;
- v. वित्तीय दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क;
- vi. NACH/चेक बदलने का शुल्क;
- vii. CERSAI रजिस्ट्री और संशोधन शुल्क;
- viii. RTGS/NEFT बाउंसिंग शुल्क;
- ix. सुरक्षा बदलने का शुल्क;
- x. सुरक्षा बनाने का शुल्क।

उधारकर्ता उधारदाता को अधिकार देते हैं कि वह इन राशियों को ऋण राशि से काट सकता है और समायोजित कर सकता है।

5.5 ऋण वितरण का तरीका

5.5.1 ऋण का वितरण चेक, अधिकार पत्र, डिमांड ड्राफ्ट या RTGS या NEFT या उधारदाता द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से हो सकता है। इससे जुड़े सभी शुल्क उधारकर्ता को देने होंगे। ऋण पर ब्याज हर वितरण की तारीख से लगना शुरू होगा।

5.6 माना गया वितरण

5.6.1 उधारदाता अपने विवेक से, बिना किसी बाध्यता के, ऋण की अवितरित राशि में से खंड 5.4 में उल्लिखित शुल्कों का भुगतान कर सकता है।

5.6.2 ऐसा भुगतान इस समझौते के तहत एक वितरण माना जाएगा। उधारकर्ता इस तरह के वितरण के खिलाफ किसी भी दावे या बचाव को त्याग देते हैं। इस तरह वितरित राशि को ऋण का वितरण माना जाएगा।

5.6.3 उधारकर्ता इस तरह के माने गए वितरण पर भी ऋण और अन्य देय राशियों पर ब्याज का भुगतान उसी तरह करेंगे जैसे अन्य वितरणों पर करते हैं। इन शर्तों का पालन न करना एक डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी।

- 5.6.4 उधारकर्ता समझते हैं कि उधारदाता के पास यह वितरण करने का अधिकार है, लेकिन यह उधारकर्ताओं के खंड 5.4 में उल्लिखित शुल्कों के भुगतान की ज़िम्मेदारी को खत्म नहीं करता। अगर उधारदाता इस उप-खंड के तहत अपने अधिकारों का उपयोग न करे, तो भी वह डिफ़ॉल्ट की घटना घोषित कर सकता है।

6. पुनर्भुगतान

- 6.1 ऋण का पुनर्भुगतान, पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।
- 6.2 उधारदाता अपने विवेक से, उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋण या बकाया राशि के पुनर्भुगतान या किसी किस्त को अपनी शर्तों पर बदल सकता है। ऐसा होने पर, नई अनुसूची पुनर्भुगतान अनुसूची मानी जाएगी और पूर्व-ईएमआई/ईएमआई उसी के अनुसार चुकाए जाएंगे।
- 6.3 उधारकर्ता उधारदाता को चुकाएगा: (क) टूटी अवधि का ब्याज, जो पहली देय तिथि पर संबंधित पूर्व-ईएमआई/ईएमआई के साथ देय होगा। (ख) प्री-ईएमआई/ईएमआई पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित तारीख पर।
- 6.4 उधारकर्ता हमेशा अपने बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखेंगे ताकि पूर्व-ईएमआई/ईएमआई देय तिथि पर उधारदाता को मिल जाए, बिना किसी रिमाइंडर के।
- 6.5 इस समझौते के निष्पादन के साथ-साथ उधारकर्ता ऐसे सभी फॉर्म निष्पादित करेंगे और ऐसे सभी निर्देश प्रदान करेंगे जो ऋण के किसी भी भुगतान के तरीके को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या अपेक्षित होंगे, जैसा कि इस उद्देश्य के लिए उधारदाता और उधारकर्ताओं द्वारा सहमत होगा। यदि उधारदाता उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से अनुरोध करता है या अन्यथा इस खंड के तहत प्रदान किए गए चेक, फॉर्म और निर्देशों के संबंध में किसी भी चेक को बदलने या नए फॉर्म निष्पादित करने या संशोधित निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तो उधारकर्ता तुरंत ऐसे अनुरोध का पालन करेंगे या ऐसा प्रतिस्थापन प्रदान करेंगे।
- 6.6 कोई भी राशि तभी चुकाई गई मानी जाएगी जब वह उधारदाता को मिल जाए।
- 6.7 उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देय सभी राशियाँ उधारदाता के कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय में (या उधारदाता द्वारा बताई गई किसी अन्य शाखा या स्थान पर) चुकाई जाएंगी। भुगतान चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा उधारदाता के नाम पर, या NACH/RTGS/NEFT द्वारा, या उधारदाता द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। यह भुगतान ऐसे किया जाना चाहिए कि उधारदाता को वह राशि देय तिथि पर या उससे पहले मिल जाए। चेक/बैंक ड्राफ्ट/NACH/RTGS/NEFT आदि द्वारा किए गए भुगतान का क्रेडिट तभी दिया जाएगा जब वह राशि उधारदाता को वास्तव में मिल जाए।
- 6.8 उधारकर्ता सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि संविदा अधिनियम, 1872 या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान या समझौते और या किसी भी सुरक्षा दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम/और शर्त के बावजूद, उधारदाता के पक्ष में किया गया कोई भी भुगतान उधारदाता द्वारा अपने विवेक से *अन्य बातों के साथसाथ*- निम्नलिखित की ओर विनियोजित किया जाएगा:

6.8.1 लागत, शुल्क, खर्च और अन्य राशियों पर ब्याज;

6.8.2 लागत, प्रोसेसिंग शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, अन्य शुल्क, खर्च और अन्य राशियाँ जो अनुसूची 1 में उल्लिखित हैं;

6.8.3 इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान में डिफॉल्ट के लिए दंडात्मक शुल्क, या किसी अन्य देय राशि का भुगतान न करने पर या किसी अन्य डिफॉल्ट के लिए दंडात्मक शुल्क;

6.8.4 ऋण पर ब्याज; और

6.8.5 इस समझौते के तहत देय पूर्व-ईएमआई/ईएमआई।

6.9 उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारदाता को जमा किए गए पोस्ट-डेटेड चेक उनके प्रस्तुतिकरण पर सम्मानित किए जाएं और उधारकर्ता पोस्ट डेटेड चेक को रद्द करने या भुगतान रोकने के निर्देश जारी करने के हकदार नहीं होंगे और न ही ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ताओं द्वारा दिए गए भुगतान निर्देश या आदेशों के लिए और ऋण की किश्तों के रूप में पुनर्भुगतान के लिए। निष्पादित पोस्ट-डेटेड चेक या आदेशों या अन्य उपकरणों को बदलने के लिए जब भी उधारदाता द्वारा आवश्यक/मांग की जाए या अन्यथा आवश्यक हो, उधारकर्ता बिना किसी विरोध, प्रतियोगिता और आपत्ति के, उधारदाता की संतुष्टि के लिए पोस्ट डेटेड चेक जारी करेंगे या NACH आदेश या अन्य उपकरणों या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ को पुनः-वैध करेंगे। यदि उधारकर्ता एक बैंक से दूसरे बैंक में चेक/NACH को बदलना/परिवर्तित करना चाहते हैं, या ऊपर बताए गए कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से, उधारकर्ता समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उधारदाता को स्वैप शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ताओं की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ता उधारदाता की संतुष्टि के लिए बिना किसी विरोध, प्रतियोगिता और आपत्ति के, नए पोस्ट-डेटेड चेक जारी करने या NACH आदेश या अन्य उपकरणों या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ को पुनः वैध करने के लिए सहमत होते हैं।

7. स्वैच्छिक पुनर्भुगतान

7.1 खंड 9 के अधीन, उधारकर्ता ऋण को आंशिक या पूर्ण रूप से समय से पहले चुका सकते हैं। इसके लिए उन्हें उधारदाता को कम से कम 5 कार्य दिवस पहले लिखित सूचना देनी होगी। अगर उधारकर्ता यह विकल्प चुनते हैं, तो उधारदाता अपने विवेक से पूर्व-भुगतान शुल्क लगा सकता है। उधारकर्ता इस शुल्क पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। यह शुल्क अनुसूची 1 में या उधारदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित दरों के अनुसार होगा। आंशिक पूर्व-भुगतान की न्यूनतम सीमा उधारदाता तय करेगा।

7.2 पूर्व-भुगतान उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन राशि वास्तव में उधारदाता के खाते में जमा होगी।

8. अनिवार्य पूर्व-भुगतान

यदि उधारकर्ता संस्थान में पाठ्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार का क्रेडिट प्राप्त करते हैं, शुल्क, प्रभार आदि में कोई सब्सिडी या छूट प्राप्त करते हैं, या किसी भी नाम से कोई वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, या पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो उधारकर्ता तुरंत उधारदाता को सूचित करेंगे।

ऐसे मामलों में, उधारदाता के पास उधारकर्ताओं से ऐसी वित्तीय छात्रवृत्ति, सब्सिडी, क्रेडिट वित्तीय सहायता की मौद्रिक राशि की सीमा तक ऋण का पूर्व भुगतान करने की मांग करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो। यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ताओं को इस खंड में वर्णित प्रकृति के पूर्व भुगतान पर, पूर्व भुगतान शुल्क के रूप में कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के तहत पूर्व भुगतान, अनिवार्य पूर्व भुगतान की तिथि से तुरंत पहले मूलधन पर ब्याज का भुगतान करने के उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

9. पूर्व-भुगतान की शर्त

लागू कानून की आवश्यकताओं के तहत, खंड 7 के अनुसार, उधारकर्ता ऋण और ब्याज को आंशिक या पूरी तरह से पहले चुका सकता है, लेकिन यह सिर्फ पहले भुगतान के छह महीने बाद ही किया जा सकता है। अगर उधारदाता लिखित में सहमति दे, तो यह समय कम हो सकता है।

10. ब्याज

10.1 ब्याज की गणना

10.1.1 उधारकर्ता को मूल राशि पर रोज़ाना के हिसाब से ब्याज उधारदाता को देना होगा। उधारकर्ता या संस्थान या उधारकर्ता या संस्थान के बैंक द्वारा चेक/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के ट्रांज़िट, संग्रह या वसूली के लिए दिए गए समय के बावजूद वितरण की दिनांक से और उस पर उधारदाता के पक्ष में मूल पर ब्याज लगाना शुरू हो जाएगा। ब्याज की गणना साल के 360 दिनों के आधार पर की जाएगी।

10.1.2 उधारकर्ता मानता है कि इस समझौते के तहत दिया गया ऋण अनुसूची 2 में बताई गई निश्चित या अस्थिर ब्याज दर पर होगा।

10.1.3 अगर ऋण निश्चित ब्याज दर पर लिया गया है, तो RBI के ब्याज दर बदलने के निर्देश लागू नहीं होंगे। ऐसे में, ऋण की पूरी अवधि के दौरान ब्याज दर नहीं बदलेगी।

10.1.4 उधारदाता, अपने एकमात्र विवेकाधिकार में, समझौते की अवधि के दौरान समयसमय- पर बेंचमार्क दर में वृद्धिकमी या परिवर्तन कर सकता है/, और इसके परिणामस्वरूप, पुनर्भुगतान अनुसूची में संशोधन, परिवर्तन या संशोधन करके ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों में बदलाव कर सकता है। उपर्युक्त परिदृश्य में, जिसमें उधारदाता द्वारा पूरे ऋण के वितरण से पूर्व तथा अवधि के दौरान बेंचमार्क दर में परिवर्तन किया जाता है, बेंचमार्क दर में इस प्रकार वृद्धि या परिवर्तन होगा जो ऋण पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा, परिवर्तन की तिथि से या उस माह की तिथि तक जिसके दौरान बेंचमार्क दर में परिवर्तन किया जाता है।

10.1.5 बेंचमार्क दर में किसी भी बदलाव को उधारदाता की वेबसाइट या उनकी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाएगा और इसे उधारकर्ता को ऐसे बदलावों के बारे में दी गई सूचना माना जाएगा।

10.2 डिफॉल्ट दंड शुल्क

10.2.1 अगर उधारकर्ता इसकी तय तारीख पर भुगतान नहीं करता, तो वास्तविक भुगतान की तारीख से देय तारीख तक ("अतिदेय शुल्क") बकाया राशि पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसे ('डिफॉल्ट पेनल चार्जेस') कहते हैं। यह शुल्क अनुसूची 1 में बताई गई दर से लगेगा। उधारदाता द्वारा मांगे जाने पर उधारकर्ता को और अगर ऐसी कोई मांग नहीं है, तो डिफॉल्ट की तारीख के बाद आने वाली पूर्व-ईएमआई/ईएमआई की देय तारीख पर यह शुल्क तुरंत देना होगा या अगली किस्त के साथ चुकाना होगा। यह नियमित ब्याज के अलावा अतिरिक्त शुल्क है

10.2.2 उधारकर्ता मानता है कि इस समझौते के तहत दिया गया यह ऋण व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है और वह ब्याज दर के बारे में कोई कानूनी बचाव नहीं कर सकता। पूर्व-ईएमआई/ईएमआई द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान करने तक हर महीने ब्याज अलग से देना होगा।

10.3 ब्याज की गणना

10.3.1 ब्याज (खंड 10.3.2 में निर्दिष्ट के अलावा) रोज़ाना के हिसाब से जुड़ेगा और आमतौर पर महीने के 30 दिनों के आधार पर गिना जाएगा। उधारदाता इसे बदलने का अधिकार रखता है।

10.3.2 टूटी अवधि के लिए ब्याज रोज़ाना के आधार पर अर्जित होगा और इसकी गणना असल दिनों की संख्या के हिसाब की जाएगी।

10.4 गैर-कार्य दिवस

अगर भुगतान की तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो भुगतान की तारीख उससे ठीक पहले के कार्य दिवस होगी बशर्ते ब्याज की गणना के लिए असली तारीख ही मानी जाएगी।

10.5 ब्याज कर, माल और सेवा कर और अन्य शुल्क

इस समझौते में बताई गई सभी ब्याज दरों में जीएसटी और अन्य कर या शुल्क शामिल नहीं हैं। उधारकर्ता को इन सभी अतिरिक्त करों और शुल्कों का भुगतान अलग से करना होगा। उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को किए जाने वाले सभी भुगतानों पर लागू कर काटे जा सकते हैं। उधारकर्ता, इस बात से सहमत है कि उधारदाता को सभी अतिरिक्त कर, अन्य शुल्क, शुल्क, प्रभार, बोझ, यदि कोई हो तो ब्याज दर के ऊपर देना होगा। हर पक्ष (उधारदाता और उधारकर्ता) को अपने-अपने कर और शुल्क खुद चुकाने होंगे।

हर पक्ष अपने-अपने सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर, शुल्क, जुर्माने और दंड के भुगतान के लिए खुद ज़िम्मेदार होगा, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो इस समझौते के संबंध में देय हो सकते हैं। उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देय कोई भी राशि लागू करों के अधीन होगी, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं और जिन्हें उधारदाता द्वारा उधारकर्ता की ओर से स्रोत पर काटा जाना आवश्यक होगा, राज्य के लागू कानूनों और नियमों के अनुसार।

11. मासिक किस्त

- 11.1 ऋण को पूरी अवधि में चुकाने के लिए, उधारकर्ता को हर महीने एक निश्चित राशि पूर्व-ईएमआई/ईएमआई चुकानी होगी। यह राशि और भुगतान की तारीखें पुनर्भुगतान अनुसूची में दी गई होंगी।

11.2 पूर्व-ईएमआई/ईएमआई की गणना:

11.2.1 पूर्व-ईएमआई

(क) उधारकर्ता द्वारा पूर्व-ईएमआई के रूप में दी गई कोई भी राशि सिर्फ ब्याज या उसके किसी हिस्से के लिए मानी जाएगी।

(ख) अगर पूर्व-ईएमआई में ब्याज का कोई हिस्सा (यदि लागू हो) नहीं चुकाया जाता, तो उस राशि को देय तिथि से मूल ऋण राशि में जोड़ा जाएगा।

11.2.2 ईएमआई

(क) उधारकर्ता द्वारा ईएमआई के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि मूल ऋण राशि और ब्याज दोनों के लिए होगी। इनका अनुपात पुनर्भुगतान अनुसूची में बताया गया होगा।

(ख) ईएमआई में से जो राशि मूल ऋण के लिए है, उसे प्रासंगिक ईएमआई के लिए देय दिनांक से प्रभावी तारीख पर मूल ऋण राशि से घटा दिया जाएगा।

12. शुल्क और प्रभार

उधारकर्ता को इस समझौते के अनुसूची 1 में बताए गए सभी शुल्क और प्रभार उधारदाता को देने होंगे।

13. खर्च और मुआवज़े

- 13.1 उधारकर्ता/उधारकर्तागण सभी वर्तमान और भविष्य के लागत, शुल्क, कर, फ़ीस, वैधानिक शुल्क और अन्य चार्जस और व्यय (किसी जुर्माने सहित, यदि लागू हो) का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे या करवाने के लिए बाध्य होंगे, जिन्हें किसी भी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाया या आरोपित किया जा सकता है या अन्यथा देय है, ऋण, वित्तीय दस्तावेज़ों और वित्तीय दस्तावेज़ों के तहत किसी भी और सभी राशि के भुगतान से संबंधित या संबंध में हैं। यदि उधारकर्ता/उधारकर्तागण उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उधारदाता को उधारकर्ता/उधारकर्तागण की ओर से उसी का भुगतान करने की स्वतंत्रता होगी (लेकिन बाध्य नहीं होगा)।

- 13.2 उधारकर्ता/उधारकर्तागण, चाहे इस संविदा के तहत लेन-देन पूरे हों या न हों, उधारदाता को सभी वर्तमान और भविष्य के लागत, शुल्क, कर, फ़ीस, चार्जस और व्यय (किसी जुर्माने सहित, यदि लागू हो) से मुआवज़ा देंगे, जिन्हें उधारदाता ने वहन किया है, और उधारदाता को सभी देयताओं से मुक्त रखेंगे जो इस संविदा के तहत या इस संविदा से उत्पन्न या परिणामस्वरूप होती है:

(क) अगर उधारकर्ता किसी वित्तीय दस्तावेज़ के तहत भुगतान को उसकी देय दिनांक पर नहीं करता;

- (ख) अगर उधारकर्ता या उसके किसी भी एजेंट द्वारा उपक्रमों, अभ्यावेदन और वारंटी का उल्लंघन होता है, जिसमें खंड 26.13 (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर) से जुड़े नियम भी शामिल हैं;
- (ग) अगर कोई ऐसी घटना होती है जो समझौते के अनुसार डिफॉल्ट की घटना मानी जाती है;
- (घ) अगर उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा किसी वितरण अनुरोध के तहत लोन की मांग की जाती है, लेकिन अगर वह अनुरोध इस समझौते के प्रावधान के किसी एक या अधिक संचालन के कारण या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को दिए गए किसी अन्य विशेष कारण से नहीं है;
- (ङ) अगर उधारकर्ता अपने दिए गए नोटिस के अनुसार ऋण (या ऋण का हिस्सा) का पूर्व भुगतान नहीं करता; या
- (च) अगर उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा दी गई कोई जानकारी किसी भी संबंध में गलत, भ्रामक या धोखाधड़ी (या होने का आरोप लगने) वाली पाई जाती है;
- (छ) अगर उधारकर्ता/उधारकर्ताओं या इस समझौते से जुड़े लेनदेन के बारे में कोई जांच, पूछताछ, समन (या इसी प्रकार का आदेश) या कानूनी कार्रवाई होती है।
- 13.3 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को, चाहे यहां परिकल्पित लेनदेन पूरा हो या नहीं, उधारदाता और उसके प्रत्येक अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, प्रतिनिधि, वकील और एजेंट को क्षतिपूर्ति करनी होगी और उन्हें किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, हानियों, क्षतियों, दंडों, दावों, कार्रवाइयों, निर्णयों, मुकदमों, लागतों, खर्चों और संवितरणों से सुरक्षित रखना होगा जो उन्हें किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ में प्रवेश करने और/या उसके प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, या उससे उत्पन्न, या किसी भी तरह से संबंधित होने के कारण, या किसी भी संवितरण के निर्माण, या ऋण की आय के उपयोग, या यहां या किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ में परिकल्पित किसी भी लेनदेन के कार्यान्वयन या समापन के कारण हुए हों, जिसमें शामिल हैं, किसी भी सलाहकार या किसी भी परामर्शदाता के शुल्क और अन्य लागतें और प्रभार, जिसे उसके द्वारा चुना या नियुक्त किया गया हो, जो किसी भी जांच या किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में या वित्तपोषण दस्तावेज़ों के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में खर्च किए गए हों।
- 13.4 इस खंड में दिए गए वचनों के उस सीमा तक अप्रवर्तनीय होने की स्थिति में जहां वे किसी लागू कानून या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हों, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा ऐसे वचनों के भुगतान और संतुष्टि के लिए लागू कानून के तहत अनुमत अधिकतम हिस्से का योगदान किया जाएगा।
- 13.5 उधारकर्ता को इस समझौते के तहत भुगतान किए गए ऋण और सभी खर्चों की पुनर्प्राप्ति के लिए बकाया राशि का भुगतान करने से पहले, उधारदाता के द्वारा भुगतान किए गए लोन से जुड़े सभी खर्च उठाने होंगे। इसमें स्टॉप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, कानूनी खर्च और अन्य खर्च शामिल हैं, जो उधारदाता को लोन देने में हुए हों। ये सभी खर्च उधारकर्ता को तब तक उठाने होंगे जब तक पूरा लोन चुका नहीं दिया जाता।
- 13.6 उधारकर्ता को अपने संबंध में समय पर सही और पूरी जानकारी/दस्तावेज़ देने होंगे, ताकि उधारदाता शामिल वैधानिक अधिकारियों के साथ सही ढंग से फ़ाइलिंग कर सके जो केवल कर

अधिकारियों सहित की जाने वाली फ़ाइलिंग तक सीमित ना हो। अगर उधारकर्ता गलत या अधूरी जानकारी/दस्तावेज़ देता है, तो इस खंड के अंतर्गत उधारदाता ज़िम्मेदार नहीं होगा।

14. प्रतिनिधित्व

हर उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और उधारदाता को वारंटी देता है और साथ ही यह पुष्टि करता है कि इस खंड में शामिल हर प्रतिनिधि और वारंटी इस समझौते के निष्पादन की तारीख पर हर तरह से सही या मान्य हो।

14.1 स्थिति

हर उधारकर्ता वित्तीय दस्तावेज़ों (जिसमें उधारकर्ता एक पक्ष है) अपने दायित्वों को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे पूरा करने का अधिकार रखता है।

14.2 बाध्यकारी दायित्व

समझौते के निष्पादन के बाद, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा और वित्तपोषण/दस्तावेज़ों में उनके द्वारा स्वीकृत सभी दायित्व यह उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के वैध, मान्य और बाध्यकारी दायित्व हैं, जो उनके नियमों के अनुसार प्रवर्तनीय है।

14.3 गैर-संघर्ष या कोई विरोध नहीं

उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा ऋण के दस्तावेज़ों का निष्पादन, वितरण, प्रवेश और प्रदर्शन और इन दस्तावेज़ों द्वारा परिकल्पित लेनदेन निम्नलिखित से विरोध नहीं करते हैं और न ही करेंगे:

क. यह किसी भी कानून के खिलाफ़ नहीं है; या

ख. यह किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के विरोध में नहीं है, जिस पर उधारकर्ता ने पहले हस्ताक्षर किए हों या जो उसकी संपत्ति से जुड़ा हो। इससे उधारकर्ता की संपत्ति पर किसी अतिरिक्त ऋण या बोझ नहीं पड़ेगा।

14.4 कोई डिफ़ॉल्ट नहीं

(क) किसी भी डिफ़ॉल्ट की संभावित घटना या डिफ़ॉल्ट की घटना नहीं हुई है या किसी भी संवितरण के करने से ऐसी किसी घटना के होने की संभावना नहीं है।

(ख) कोई अन्य घटना या परिस्थिति बकाया नहीं है जो

- (i) किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ के तहत या
- (ii) किसी अन्य समझौते या उपकरण के तहत, जो उन पर या उनकी संपत्तियों पर बाध्यकारी है, उस सीमा तक और उस तरीके से डिफ़ॉल्ट का गठन करती हो जिससे भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

14.5 कोई भ्रामक जानकारी नहीं

(क) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को दी गई जानकारी, हर तरह से सच्ची और सही है। यह बात उस दिन के लिए सही है जब जानकारी दी गई थी, या उस तारीख (यदि कोई हो तो) के लिए जो जानकारी में बताई गई है।

(ख) उधारकर्ता के अनुसार कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है, और कोई जानकारी ऐसे नहीं दी गई है, जिससे उधारदाता को दी गई जानकारी गलत या भ्रामक हो जाए।

14.6 कोई कानूनी कार्रवाही बाकी नहीं या खतरे में नहीं

किसी भी न्यायालय, मध्यस्थता निकाय या एजेंसी के समक्ष कोई मुकदमा, मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या किसी भी उधारकर्ता के खिलाफ धमकी नहीं दी गई है, जो यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित की जाए, तो इस समझौते और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित कर सकती है या महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

14.7 दिवालियापन

उधारकर्ता/उधारकर्ताओं खिलाफ दिवालियापन, विघटन, भुगतान निलंबन, प्रशासन या पुनर्गठन के लिए या उधारकर्ता के संपत्ति, साधन या आय के लिए प्राप्तकर्ता, प्रशासक, प्रशासकीय प्राप्तकर्ता, ट्रस्टी या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया या ना ही कोई कदम उठाया है या उठाए जाने की संभावना है, जिससे वह दिवालिया हो जाए। उसके खिलाफ दिवालिया होने की कोई कार्रवाही नहीं चल रही है। उसकी कंपनी को बंद करने या उसकी संपत्ति पर किसी और का नियंत्रण देने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। उसके पैसे या संपत्ति पर रोक लगाने की कोई कार्रवाही नहीं हो रही है।

14.8 अच्छा स्वामित्व या शीर्षक

उधारदाता को बताई गई जानकारी के अलावा, संबंधित उधारकर्ता के पास उधारकर्ताओं की संपत्ति, परिसंपत्ति और राजस्व पर अच्छा, मान्य और विपणन योग्य अधिकार है, जिस पर उधारकर्ता को जमानत दस्तावेजों के अनुसार प्रतिभूति प्रदान की गई है (जिसे उसे तारीख पर निष्पादित किया गया है, जब इस प्रतिरूप को बनाया गया था या बनाया या दोहराया गया था)।

14.9 जमानत की वैधता

प्रत्येक सुरक्षा दस्तावेज़, जिसके पार्टी उधारकर्ता/उधारकर्तागण हैं/, जब निष्पादित, वितरित और पंजीकृत और जब लागू (जहां आवश्यक या वांछनीय हो) कानून के तहत आवश्यक फ़ॉर्म जमा कर दिए जाते हैं, तो वह सुरक्षा दस्तावेज़ के द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों पर और ऐसी संपत्तियों और प्रमाणपत्रों पर-, जिनके ऊपर सुरक्षा सृजित होने का उल्लेख है, किसी पूर्व सुरक्षा के अधीन नहीं हैं, सुरक्षा सृजित करेगा।

14.10 भौतिक प्रतिकूल प्रभाव

ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितियां, स्थितियां या घटनाएं नहीं हैं, जिनके सामूहिक रूप से या अन्यथा एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम होने की अपेक्षा की जा सकती है।

14.11 अघोषित देनदारियां

इस समझौते की तारीख के अनुसार, उधारकर्ता की सबसे हालिया ऑडिटेड वित्तीय विवरण जिन पर तैयार किए गए थे जो), इस समझौते की तारीख को, वे वित्तीय विवरण हैं, उधारकर्तासंभाव्य या) उधारकर्ताओं के पास कोई देनदारियां/ अन्यन (हीं थीं जो उसमें या उसके) प्रकट नहीं की गई थीं या उसके (नोट्स में विरुद्ध आरक्षित नहीं की गई थीं, और न ही कोई अप्रकट या अपेक्षित हानि थी जो उस द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न हुई थी जो उसमें प्रकट नहीं की गई थीं या उसके विरुद्ध आरक्षित नहीं की गई थीं।

14.12 डिफॉल्टर (जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले या डिफॉल्टर के रूप में नहीं पहचाना है।

14.13 बीमा

उधारकर्ता को ये बीमे करवाने होंगे:

- (क) छात्र का जीवन बीमा जिसकी राशि मंजूरी पत्र में मंजूर ऋण राशि से कम होनी चाहिए; और
- (ख) उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की संपत्ति का बीमा।

उधारदाता की पसंद के बीमा प्रदाता से ऋण की अवधि के दौरान, जहाँ बीमा पॉलिसी उधारदाता के पक्ष में नियुक्ति का अधिकार देती है। साथ ही उधारकर्ताओं को इस खंड की शर्तों के साथ अनुपालन करने की पुष्टि देते हुए एक प्रमाणपत्र देना होगा।

14.14 दोहराए जाने वाले अभिवेदन या वादे

इस समझौते में दिए गए वादों या बयान को उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा हर वितरण की तारीख पर और ब्याज की गणना की तय अवधि के आखिरी दिन और ऋण का भुगतान करने की हर तारीख पर दोहराया हुआ माना जाता है।

15. सूचना उपक्रम

15.1 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा उधारदाता को लिखित में सूचना प्रदान करेगा:

- (क) जैसे ही उन्हें पता चले, किसी भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही के विवरण जो उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान में चल रही हों, धमकी दी गई हों या लंबित हों और जो, यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित की जाएं, जो भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हों;
- (ख) जैसे ही पता चले, अपने परिसमापन/दिवालियापन के लिए किए गए किसी आवेदन की सूचना के विवरण या परिसमापन/दिवालियापन की किसी वैधानिक सूचना की प्राप्ति या किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य सूचना के विवरण या यदि उनकी किसी संपत्ति या व्यवसाय या उपक्रम के लिए को रिसीवर नियुक्त किया गया हो;
- (ग) तुरंत, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की स्थिति, हालत (वित्तीय या अन्यथा), संपत्तियों और व्यवसाय के बारे में ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो उधारदाता समय-समय पर मांग सकता है;

- (घ) जैसे ही पता चले, किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा उधारकर्ता/उधारकर्ताओं, किसी भी प्रतिभूति या उधारकर्ताओं के व्यवसाय या संपत्तियों के किसी हिस्से को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने के किसी प्रस्ताव के विवरण (चाहे वह इस समझौते के तहत डिफॉल्ट की घटना हो या न हो); और
- (ङ) जैसे ही पता चले, किसी ऐसी घटना, परिस्थिति या स्थिति के घटित होने के विवरण जो वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी, प्रतिज्ञा या शर्त को किसी भी संदर्भ में असत्य या गलती बनाती है या बनने का कारण बनती है।
- 15.2 उधारकर्ता यह वादा करता है कि वह संस्थान (कॉलेज या यूनिवर्सिटी) को दिए गए सभी शुल्क के भुगतान के सबूत उधारदाता को देगा। इन सबूतों में रसीदें, बिल, टेलीग्राफ़ स्थानांतरण प्रमाण, स्विफ्ट कॉपी (विदेशी भुगतान का प्रमाण), कॉलेज का स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं। ये सबूत उधारकर्ता को 7 (सात) काम के दिनों के अंदर उधारदाता को देने होंगे। यह समय उस दिन से शुरू होगा जब उधारकर्ता को ये दस्तावेज़ मिलते हैं। उधारदाता जब भी मांगे, उधारकर्ता को पढ़ाई से जुड़े खर्चों के सभी सबूत देने होंगे। इन सबूतों में वे सभी खर्चे शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए जरूरी हैं और जिनकी अनुमति उधारदाता ने दी है। उधारकर्ता को ये सबूत मिलते ही उचित समय के भीतर देने होंगे।

15.3 छात्र वादा करता है कि छात्र:

- (क) उधारदाता की लिखित अनुमति के बिना वह अपना कोर्स या संस्थान नहीं बदलेगा;
- (ख) वह अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी या कोर्स की तय समय-सीमा में पूरी करेगा;
- (ग) वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और ध्यान रखेगा कि उसे कोर्स का कोई हिस्सा दोबारा न करना पड़े;
- (घ) जब भी उधारदाता मांगे, छात्र अपने आचरण और उपस्थिति का प्रमाण पत्र उधारदाता को देगा। यह प्रमाण पत्र संस्थान के नियमों के अनुसार प्रमाणित होगा, या अगर ऐसे कोई नियम नहीं हैं, तो संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित होगा;
- (ङ) छात्र पूरी पढ़ाई के दौरान उधारदाता को अपनी पढ़ाई की प्रगति के बारे में बताएगा। वह अपने सभी परिणाम और मार्कशीट उधारदाता को देगा। ये दस्तावेज़ संस्थान के नियमों के अनुसार प्रमाणित होंगे और अगर ऐसे नियम नहीं हैं, तो संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित होंगे;
- (च) शैक्षणिक संस्थान में समयसमय पर लागू- सभी नियमों, निर्देशों और अनुशासन का पालन करेगा;
- (छ) छात्र ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो उसकी पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने पर भविष्य के करियर को नुकसान पहुंचा सकती है;
- (ज) अगर छात्र पढ़ाई के दौरान नौकरी करना चाहता है, तो वह उधारदाता को बताएगा। उसे संस्थान से एक प्रमाण पत्र लाना होगा कि यह नौकरी उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगी। छात्र उधारदाता को नौकरी के बारे में पूरी जानकारी देगा, जैसे काम की प्रकृति, काम के घंटे, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस जानकारी के आधार पर उधारदाता तय करेगा कि ऋण के नियमों में कोई बदलाव करना है या नहीं।

15.4 किताबों और रिकॉर्ड तक पहुंच

उधारकर्ता को उधारदाता या उसके नामित व्यक्ति को अपनी सभी किताबों और रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच देनी होगी, जब उधारदाता द्वारा मांगा जाए।

15.5 निरीक्षण

उधारकर्ता उधारदाता द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को यह अनुमति देता है कि वह:

- (क) उधारकर्ता के परिसर, संपत्ति, दस्तावेज़, किताबें और अन्य सामग्री का निरीक्षण कर सके और
- (ख) उधारकर्ता के किसी भी अधिकारी से बातचीत कर सके, चर्चा कर सके या सलाह-मशवरा कर सके।

उधारकर्ता को ऐसे निरीक्षण के लिए उधारदाता द्वारा नियुक्त अधिकारी या उसके नामित व्यक्ति के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। उधारदाता को उधारकर्ता को पहले से सूचना दिए बिना इस खंड के तहत निरीक्षण करने का अधिकार होगा। हालांकि, ये निरीक्षण उधारदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध उचित व्यवहार संहिता के अनुसार होंगे। ऐसे किसी भी दौरे का खर्च उधारकर्ता को वहन करना होगा।

15.6 अधिसूचनाएँ

उधारकर्ता को उधारदाता को किसी संभावित डिफ़ॉल्ट की घटना या डिफ़ॉल्ट की घटना (और अगर इसे ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हो) के बारे में पता चलने पर तुरंत सूचित करना होगा।

16. सामान्य उपक्रम

16.1 प्राधिकरण

उधारकर्ता को तुरंत निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- (क) कोई भी आवश्यक प्राधिकृति प्राप्त करना, उनका पालन करना और उन्हें पूरी तरह से प्रभावी रखने के लिए जो भी आवश्यक हो, वह करना; और
- (ख) उधारदाता को इन प्राधिकृतियों की प्रमाणित प्रतियाँ देना।

इन प्राधिकृतियों में (भारत के किसी कानून या विनियमन के तहत आरबीआई की स्वीकृतियों सहित, यदि कोई हो, जो भारत के किसी भी कानून या नियम के तहत आवश्यक हो सकती हैं। ये इसलिए जरूरी हैं ताकि उधारकर्ता वित्त संबंधी दस्तावेज़ों के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर सके और यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वित्त संबंधी दस्तावेज़ कानूनी, वैध, लागू करने योग्य और सबूत के रूप में स्वीकार्य हों।

16.2 लागू कानूनों का पालन करना

उधारकर्ता को उन सभी लागू कानूनों का हर तरह से पालन करना होगा जो उन पर लागू हो सकते हैं। उन्हें हर समय अपने कामकाज को कानूनी तरीके से चलाना और संचालित करना होगा।

उधारदाता ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र (GRM) स्थापित किया है। यह GRM उधारदाता की उचित व्यवहार

संहिता (कोड) के तहत निर्धारित किया गया है, जो उधारदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इसका लिंक इस प्रकार है: www.auxilo.com/customer-grievances। यह कोड भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अपडेट/संशोधित किया जा सकता है।

GRM में 3 स्तर हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए। ग्राहक, ग्राहक सहायता केंद्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। इसका समाधान कोड के अनुसार एक निश्चित समय में प्रदान किया जाता है। यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक दूसरे स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर एक महीने के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक से अपील कर सकता है।

16.3 उद्देश्य

उधारकर्ता को ऋण के तहत उधार ली गई सभी राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करना होगा।

16.4 भुगतान और अनुपालन

उधारकर्ता को अपने सभी दायित्वों और देनदारियों का भुगतान और निपटान समय पर या उससे पहले करना होगा। इसमें लागू कानून के तहत उधारकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क और फ़ीस, वर्तमान और भविष्य के सभी दावे, लेवी या देनदारियां (जैसे श्रम, सेवाओं, सामग्री और आपूर्ति के लिए) शामिल हैं, जो देय और भुगतान योग्य हो गए हैं।

16.5 दायित्वों का उल्लंघन

अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जो वित्त संबंधी किसी भी दस्तावेज़ के तहत उधारकर्ता के दायित्वों के निष्पादन में बाधा डालती है, या बाधा डालने की धमकी देती है, या बाधा डालने की संभावना है, तो उधारकर्ता को तुरंत उधारदाता को इसकी जानकारी देनी होगी।

16.6 समान दर्जा

उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्त संबंधी दस्तावेज़ों के तहत उधारकर्ता के भुगतान दायित्व और उधारदाता के दावे कम से कम उसके अन्य सभी असुरक्षित और अधीनस्थ न किए गए उधारदाताओं के दावों के बराबर (पारी पास) रहें और बने रहें। सिवाय इसके कि जो सुरक्षा दस्तावेज़ों में प्रदान किया गया है और/या कानून द्वारा अनिवार्य रूप से प्राथमिकता वाले दायित्वों के लिए।

16.7 आगे के लिए आश्वासन

उधारकर्ता को समय-समय पर, हर वित्त संबंधी दस्तावेज़ को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए उधारदाता को वित्त संबंधी दस्तावेज़ों में दिए गए या दिए जाने का इरादा रखे गए सभी अधिकारों, शक्तियों और उपायों का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के लिए उधारदाता के अनुरोध पर वह सभी कार्य करने या

करवाने होंगे या ऐसे सभी दस्तावेज़ों को तैयार करना या करवाना होगा जो उधारदाता के विचार से आवश्यक हो।

16.8 निपटान

उधारकर्ता किसी भी ऐसे प्रस्तावित निपटारे, समाधान या समझौते के लिए सहमत नहीं होगा, अधिकृत नहीं करेगा या अन्यथा सहमति नहीं देगा, जो किसी भी व्यक्ति के साथ मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या अन्य विवाद से संबंधित हो और जिसके बारे में उधारदाता की राय है कि इससे कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

16.9 प्रकटीकरण खंड

उधारकर्ता निम्नलिखित बातों से भी सहमत हैं, वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं:

16.9.1 उधारकर्ता समझते हैं कि उधारकर्ता को ऋण देने और/या ऋण देना जारी रखने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, उधारदाता को उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता है। यह सहमति उधारदाता द्वारा उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा, उधारकर्ता द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले ऋण की जानकारी और इसके निर्वहन में जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए है।

16.9.2 तदनुसार, उधारकर्ता इसके लिए सहमति देते हैं कि उधारदाता उधारकर्ता से संबंधित सभी या कोई भी जानकारी और डेटा, उधारकर्ता द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले ऋणों से संबंधित जानकारी या डेटा और उधारकर्ता द्वारा की गई किसी भी डिफ़ॉल्ट की जानकारी, यदि कोई हो, तो उसका खुलासा कर सकता है। उधारदाता जैसा भी उचित और आवश्यक समझे, वैसे वह इस जानकारी को क्रेडिट सूचना कंपनियों, न्यायपालिका, बैंक, वित्तीय संस्थान, CERSAI, CKYC, NESL, NSDL, आयकर विभाग आदि किसी अन्य प्राधिकरण या वैधानिक प्राधिकरण और RBI/राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी के साथ साझा कर सकता है।

16.9.3 उधारकर्ता घोषणा करते हैं कि उन्होंने उधारदाता को जो जानकारी और डेटा दिया है, वह सत्य और सही है।

16.9.4 उधारकर्ता यह भी वचन देते हैं कि:

(क) क्रेडिट सूचना कंपनियाँ और अन्य अधिकृत एजेंसियाँ उधारदाता द्वारा दी गई इस जानकारी और डेटा का उपयोग और प्रसंस्करण अपने तरीके से कर सकती हैं।

(ख) क्रेडिट सूचना कंपनियाँ और कोई अन्य अधिकृत एजेंसी विचार के लिए, प्रकट की गई प्रसंस्कृत जानकारी और आंकड़े, या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान (संस्थानों) और अन्य ऋण प्रदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकती हैं।

16.9.5 उधारकर्ता उधारदाता को यह भी अधिकार और सहमति देते हैं कि वह उधारकर्ता की पृष्ठभूमि की जांच कर सकता है, उधारकर्ता की "अपने ग्राहक को जानिए" (KYC) जानकारी

प्राप्त कर सकता है, जिसमें शैक्षिक बोर्डों, शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच शामिल है।

- 16.9.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि ऋण देने की एक पूर्व शर्त के रूप में अगर नियत तारीख पर ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई डिफॉल्ट होता है, तो उधारदाता और/या RBI के पास यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से जिस तरह भी चाहें उधारकर्ताओं के नाम और फोटो को डिफॉल्टर्स के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं।
- 16.9.7 इस समझौते के प्रावधानों के अधीन दोनों पक्ष वित्त संबंधी दस्तावेजों और यहाँ दी गई किसी भी लिखित जानकारी को गोपनीय रखेंगे और वे दूसरे पक्ष की सहमति के बिना इसे किसी और को नहीं बताएंगे या बताने का कारण नहीं बनेंगे।

हालांकि, उधारदाता ऐसी जानकारी इन्हें दे सकता है:

(क) उधारदाता के वित्त संबंधी दस्तावेजों में पूरे या आंशिक हित के संभावित हस्तांतरण प्राप्तकर्ताओं को (या ऐसे किसी संभावित हस्तांतरण प्राप्तकर्ता के वकील, बीमा दलाल, निवेश बैंकर, ऑडिटर या लेखाकार को); और

(ख) अपने वकील, बीमा दलाल, सहयोगी, विक्रेता, निवेश बैंकर, ऑडिटर या लेखाकार, वित्तपोषक, संभावित वित्तपोषक, शेयरधारक, संभावित शेयरधारक और अन्य पेशेवर सलाहकारों को।

- 16.9.8 उधारकर्ता समझता है कि उधारदाता और/या उसके तीसरे पक्ष को उधारदाता की क्रेडिट जानकारी को अपडेट, संशोधित, प्रासंगिक जोड़ने या हटाने का और उधारकर्ता का क्रेडिट इतिहास या क्रेडिट जानकारी बनाने, डाउनलोड करने और रिपोर्ट करने का अधिकार है, जैसा समय-समय पर आवश्यक और लागू हो।

उधारकर्ता समझता है कि उधारदाता, उसका तीसरा पक्ष, वैधानिक प्राधिकरण को क्रेडिट जानकारी या इस समझौते के किसी भी विषय से संबंधित लघु संदेश सेवा (SMS), कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, पंजीकृत या प्रमाणित डाक भेजने और प्राप्त करने का अधिकार है।

16.10 अन्य वचन या वादे

- 16.10.1 उधारकर्ता उधारदाता की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं लेंगे जिसमें उधारकर्ताओं को अपनी आय स्रोतों/वेतन से भुगतान करना पड़े, जिससे उधारदाता से ली गई वित्तीय सहायता के भुगतान में बाधा आए। उधारकर्ता सहमत हैं कि अगर ऐसी कोई ऋण राशि पहले से ली गई है या बाद में उधारदाता के ध्यान में आती है, तो छात्र तुरंत उधारदाता को इसकी सूचना देगा। ऐसी स्थिति में उधारदाता इस समझौते के तहत ऋण देने या वितरित करने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार रखता है।

- 16.10.2 उधारकर्ता सहमत हैं कि अगर छात्र को किसी कारण से पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ता है (चाहे वह उधारकर्ता की चूक, लापरवाही, दुर्व्यवहार या अन्य कारण से हो, या प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हो) या वह पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो जाता है, तो उधारकर्ता द्वारा पूरी बकाया राशि उधारदाता की मांग पर तुरंत चुकाई जाएगी।

- 16.10.3 छात्र उधारदाता की पूर्व अनुमति के बिना इस समझौते के तहत ऋण की अवधि के दौरान कोई मौद्रिक दायित्व या वित्तीय देयता नहीं लेगा। उधारदाता को संस्थान से सीधे संपर्क करने और छात्र की पढ़ाई में प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें छात्र का चरित्र और व्यवहार भी शामिल है।
- 16.10.4 छात्र, उधारदाता की पूर्व सहमति के बिना, अपनी पढ़ाई का पाठ्यक्रम, पढ़ाई का स्थान या संस्थान नहीं बदलेगा, जैसा कि उसके आवेदन में बताया गया है। ऐसा होने पर, उधारदाता मंजूरी वापस लेने और भुगतान की मांग करने का अधिकार रखता है।
- 16.10.5 छात्र की पढ़ाई पूरी होने के बाद, छात्र की ज़िम्मेदारी होगी कि वह लाभकारी रोज़गार प्राप्त करें। रोज़गार मिलते ही छात्र को तुरंत उधारदाता को इसकी पूरी जानकारी और आय के बारे में बताना होगा।
- 16.10.6 छात्र अपने भविष्य के वेतन को उधारदाता के बकाया की सीमा तक पूरी तरह से हस्तांतरित करने का वचन देता है। उधारदाता छात्र से शेष राशि की मांग करने का अधिकार रखता है। छात्र अपने नियोक्ता को बताएगा कि उसने अपना वेतन उधारदाता के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है। अगर वेतन सीधे छात्र को मिलता है, तो वह उसे उधारदाता के लिए ट्रस्ट में रखेगा। उधारदाता नियोक्ता से सीधे संपर्क करके भुगतान की मांग कर सकता है।
- 16.10.7 उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से उधारदाता को अधिकृत करते हैं कि वह उनके वर्तमान या भविष्य के नियोक्ताओं या उधारकर्ता के भविष्य के वेतन या आय या प्राप्तियों का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार प्राधिकारी से संपर्क करें या संवाद करें, और इस संबंध में निर्देश जारी करें और साथ ही उधारदाता को अपना अटॉर्नी नियुक्त करते हैं ताकि वह समय-समय पर आवश्यक सभी कार्य, कर्तव्य और चीज़ें कर सके और सभी ऐसे दस्तावेज़, हस्तांतरण, समनुदेशन निष्पादित कर सके।
- 16.10.8 अगर छात्र ने भारत में उच्च शिक्षा ली है और विदेश में आगे पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो वह तुरंत उधारदाता को सूचित करेगा। उधारदाता तय करेगा कि छात्र के देश छोड़ने से पहले पूरी बकाया राशि चुकानी है या संशोधित शर्तों पर ऋण जारी रखना है।
- 16.10.9 अगर छात्र इस समझौते के समय नाबालिग है, तो वयस्क होने पर वह इस समझौते की सभी शर्तों की पुष्टि करेगा। सह-उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र वयस्क होने पर इस समझौते की पुष्टि करे।
- 16.10.10 विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए किए गए वितरण विदेशी मुद्रा नियमों के या कोई अन्य लागू नियम के अधीन होंगे। उधारकर्ता RBI द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेंगे और उधारदाता को सहायक दस्तावेज़ प्रदान करेंगे।
- 16.10.11 यदि ऋण के लिए गारंटर या सह-उधारकर्ता (यदि तृतीय पक्ष द्वारा ऋण के दायित्वों की गारंटी है) की मृत्यु हो जाती है, तो उधारकर्ताओं को नियामक द्वारा स्वीकार्य उपयुक्त प्रतिस्थापन गारंटर/सह-उधारकर्ता की व्यवस्था करनी होगी और ऐसे गारंटर/सह-उधारकर्ता से ताजा गारंटी समझौता/सह-उधारकर्ता और लेनदार द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ों के निष्पादन की व्यवस्था करनी होगी, जो लेनदार के लिए संतोषजनक हों। इस खंड के तहत

उधारदाता के अधिकार, खंड 17.1 के तहत सह-उधारकर्ता की मृत्यु को डिफॉल्ट की घटना के रूप में मानने के लेनदार के अधिकार के अधीन होंगे।

16.11 सेट ऑफ़ और ग्रहणाधिकार

16.11.1 उधारदाता को उधारकर्ताओं के किसी भी प्रकार और स्वरूप (स्थायी जमा सहित) के जमा राशि पर, और उधारदाता/उनके ट्रस्टी/एजेंटों के नियंत्रण में रखे गए किसी भी पैसों, सिक्योरिटीज़, बांड और सभी अन्य संपत्तियों, दस्तावेज़ों, करारों और संपत्तियों पर सेट ऑफ़/नेट ऑफ़ का अधिकार होगा, (चाहे वह सुरक्षा के रूप में हो या अन्यथा किसी भी अनुबंध के तहत, जिसे उधारकर्ता किसी भी क्षमता में प्रवेश करेंगे), सभी बकाया राशि की सीमा तक, जिसका कारण उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं को प्रदान की गई किसी भी सेवा और/या उधारकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई हो या उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली किसी अन्य सुविधा के परिणामस्वरूप हो। उधारकर्ता उधारदाता के पक्ष में उपरोक्त संपत्तियों पर उपलब्ध ग्रहणाधिकार की भी सूचना देते हैं।

16.11.2 यदि उधारकर्ता ऋण पर बकाया किश्तों के भुगतान में डिफॉल्ट करते हैं, तो इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के अलावा, उधारदाता अपने एकमात्र विवेक पर और सामान्य ग्रहणाधिकार के प्रयोग में, उधारकर्ताओं की ओर से खड़े जीवन बीमा पॉलिसियों के संवृत्ति लाभ राशि सहित किसी भी जमा राशि का उपयोग (उधारकर्ताओं की सहमति के बिना भी) बकाया राशि की पूर्ति के लिए करेगा।

17. डिफॉल्ट की घटना

इस खंड में दी गई कोई भी घटनाएं या परिस्थितियां व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप से डिफॉल्ट की घटना है।

17.1 किसी भी उधारकर्ता की मृत्यु हो जाना;

17.2 यहां बताए गए उद्देश्य के अलावा, लोन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना या उधारकर्ता का उधारदाता को लोन के इस्तेमाल का सबूत न दे पाना।

17.3 भुगतान न करना

उधारकर्ता तय तारीख पर या उसके बाद भुगतान नहीं करता, या फिर जो रकम और जो तरीका वित्तीय दस्तावेज़ में बताया गया था, वैसे नहीं चुकाता।

17.4 अन्य जिम्मेदारियां

उधारकर्ता वित्तीय दस्तावेज़ों में दिए गए किसी भी प्रावधान, किसी भी शर्त, वादे, या जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता।

17.5 गलत जानकारी देना

किसी वित्तीय दस्तावेज़ में या उसके तहत उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए गए वित्तीय दस्तावेज़ या उससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज़ में उधारकर्ता द्वारा कोई ऐसी बात कही या लिखी गई है जो गलत या भ्रामक साबित हो सकती है।

17.6 क्रॉस डिफ़ॉल्ट

17.6.1 उधारकर्ता किसी और पार्टी से लिया गया कर्ज समय पर या दी गई छूट अवधि में नहीं चुकाता।

17.6.2 किसी भी पक्ष से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के किसी भी दायित्व को बकाया घोषित किया जाता है या अन्यथा बकाया हो जाता है और किसी डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप इसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले इसका भुगतान किया जाना चाहिए (जैसा कि बताया गया है)।

17.6.3 उधारकर्ता का कोई उधारदाता, किसी डिफ़ॉल्ट के कारण, तय समय से पहले ऋण चुकाने की मांग कर सकता है (जैसा कि बताया गया है)।

17.7 दिवालियापन या इनसॉल्वेंसी

17.7.1 उधारकर्ता अपने देय ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं या ऐसा प्रतीत होता है या मान लिया जाता है कि वे अपने ऋणों का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी ऋण के भुगतान को स्थगित कर देते हैं या वास्तविक या अपेक्षित वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक या एक से अधिक उधारदाताओं से बातचीत शुरू करते हैं ताकि अपने किसी भी ऋण का पुनर्निर्धारण किया जा सके।

17.7.2 उधारकर्ता की संपत्ति का मूल्य उसके ऋण से कम है (भविष्य के संभावित कर्जों को भी ध्यान में रखते हुए)।

17.7.3 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के किसी भी ऋण पर अधिस्थगन की घोषणा की जाती है।

17.7.4 उधारकर्ता के खिलाफ़ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, कोई आवेदन किया जाता है या नोटिस प्राप्त हुआ है।

17.8 दिवालियेपन (इनसॉल्वेंसी) की कार्यवाही

कोई भी कॉर्पोरेट कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया या अन्य कदम उठाए जाते हैं, जैसे:

17.8.1 उधारकर्ता के भुगतान रोकना, किसी ऋण पर रोक लगाना, कंपनी बंद करना, कंपनी को भंग करना, या किसी तरह से पुनर्गठन करना (स्वैच्छिक व्यवस्था, व्यवस्था की योजना या अन्यथा के माध्यम से);

17.8.2 उधारकर्ता के किसी उधारदाता या लेनदारों के अन्य वर्ग के साथ समझौता या ऋण का पुनर्गठन (रचना, समझौता, असाइनमेंट या व्यवस्था) करना;

17.8.3 उधारकर्ता या उसकी संपत्तियों के लिए किसी परिसमापक, रिसीवर, प्रशासक, प्रशासनिक रिसीवर, अनिवार्य प्रबंधक, अस्थायी पर्यवेक्षक या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति करना; या

17.8.4 उधारकर्ता की किसी संपत्ति पर कब्जा करना या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई करना।

17.9 वित्तीय दस्तावेजों का समाप्त होना या बंद होना

कोई भी वित्तीय दस्तावेज़:

17.9.1 अस्तित्व में नहीं है, या वैध, प्रभावी या लागू नहीं है (या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा दावा किया जाता है कि वह अस्तित्व में नहीं है या अवैध, अप्रभावी या लागू नहीं है);

17.9.2 उस वित्तीय दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है।

17.10 कानूनी कार्रवाई

उधारकर्ता या उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाही, मध्यस्थता, सरकारी या नियामक जांच शुरू होना या उसकी धमकी दी जाना, जिससे उधारकर्ता पर या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

17.11 प्राधिकरण

17.11.1 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा किसी भी अधिकृतीकरण को प्राप्त, नवीनीकृत, बनाए रखने या उसका अनुपालन करने में विफल होना, जिसके अंतर्गत वे वित्तीय दस्तावेज़ों के निष्पादन, वितरण, प्रदर्शन और प्रवर्तन से संबंधित हैं, जिनकी वे पार्टी हैं, या

17.11.2 इस तरह का कोई भी प्राधिकरण रद्द कर दिया जाता है, समाप्त किया गया, निलंबित, संशोधित या रोक दिया गया है या अमान्य निर्धारित किया गया है या पूर्ण बल और प्रभाव में नहीं रहेगा।

17.12 महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव

उधारदाता की राय में, कोई ऐसी बात हो या होने वाली हो जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

17.13 अगर ऋण के लिए उधारदाता को ज़मानत का मूल्य इस हद तक कम आता है कि उधारदाता संतुष्ट नहीं होता और अधिक ज़मानत मांगता है, लेकिन उधारकर्ता तय समयसीमा में उधारदाता को ऐसी कोई ज़मानत नहीं देता;

17.14 अगर ऋण की जमानत या अतिरिक्त जमानत को बेच दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए या उस पर कोई और कर्ज ले लिया जाए;

17.15 अगर किसी प्राधिकारी द्वारा उन संपत्तियों की कुर्की का आदेश पारित किया जाता है जिन पर सुरक्षा और/या अतिरिक्त सुरक्षा बनाई गई है या उसका कोई भाग और/या उधारकर्ताओं से किसी भी बकाया की वसूली के लिए प्रमाणपत्र कार्यवाही शुरू की जाती है या प्रारंभ की जाती है;

- 17.16 कोई भी उधारकर्ता उधारदाता द्वारा आवश्यक सुरक्षा और/या अतिरिक्त सुरक्षा बनाने में विफल रहता है;
- 17.17 उधारकर्ता निर्धारित समय सीमा में, पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है;
- 17.18 इस पाठ्यक्रम में उधारकर्ता की प्रगति, उधारदाता की एकमात्र राय है, जो असंतोषजनक है;
- 17.19 उधारकर्ता पाठ्यक्रम या एडमिशन को पूरे किए बिना शिक्षण संस्था को छोड़ देता है या उधारकर्ता का वीज़ा रद्द हो जाता है; और
- 17.20 शिक्षण संस्थान या छात्र द्वारा लिया जा रहा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी समय उधारदाता की आंतरिक नीतियों की न्यूनतम योग्यता की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन नहीं करता।

18. डिफॉल्ट की घटना के परिणाम

- 18.1 कोई भी डिफॉल्ट की स्थिति होने पर, उधारदाता निम्न में से एक या अधिक कदम उठा सकता है:
- 18.1.1 ऋण या उसके किसी भाग को रद्द कर सकता है;
- 18.1.2 पुनर्भुगतान को त्वरित करना और यह घोषित करना कि सभी या आंशिक बकाया राशि तत्काल देय और भुगतान योग्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे तत्काल देय और भुगतान योग्य हो जाएंगी;
- 18.1.3 किसी भी या उपलब्ध उधारदाता की प्रक्रिया के लिए और जमानत के दस्तावेजों के अनुसार बनाई गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने और कब्जा करने, स्थानांतरित करने या निपटान करने जैसी कानूनी कार्रवाही कर सकता है और जमानत की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। वह इस संपत्ति को बेच सकता है, किराए पर दे सकता है या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जैसा भी वह उचित समझे।
- 18.1.4 जमानत या अतिरिक्त जमानत को लागू करने की घोषणा कर सकता है। इसमें उधारदाता के पास ये अधिकार होंगे:
- क. जमानत की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है; और/या
- ख. जमानत की संपत्ति को किराए पर दे सकता है, बेच सकता है या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल कर सकता है; और/या
- ग. फिक्स्ड डिपॉज़िट, जीवन बीमा पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस की बचत, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या कोई अन्य फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना को परिसमाप्त कर सकता है।
- 18.1.5 उधारदाता कानून और वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार अपने अन्य अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है;

- 18.1.6 उधारदाता उधारकर्ता और/या उसके निदेशकों के नाम को डिफॉल्ट के रूप में किसी भी नियामक संस्था जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी एजेंसी, अदालत, संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, न्यायिक निकाय या अन्य किसी व्यक्ति के सामने प्रकाशित कर सकता है। यह किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, जैसा उधारदाता या रिज़र्व बैंक या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी उचित समझे।
- 18.2 उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा डिफॉल्ट की अवधि के लिए ब्याज दर के ऊपर डिफॉल्ट दंडात्मक शुल्क दर पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 18.3 उपरोक्त अधिकार या अधिकारों के अलावा, जिसका उधारदाता किसी भी समय लागू कानून, समझौता या अन्यथा द्वारा हकदार हो सकता है, उधारकर्ता उधारदाता को यह अधिकार भी देता है:
- 18.3.1 उधारदाता किसी भी समय उधारकर्ता के सभी खातों और देनदारियों को एक साथ जोड़ सकता है या मिला सकता है। यह उधारदाता की किसी भी शाखा या अन्य संस्था के साथ किया जा सकता है। यह प्रतिभूतिकरण या अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
- 18.3.2 सार्वजनिक या निजी बिक्री या असाइनमेंट के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उधारकर्ता द्वारा धारित किसी भी उधारकर्ता की प्रतिभूतियों या संपत्तियों को बेचना या उनका निपटान करना, बिना किसी न्यायिक कार्यवाही को स्थापित किए और उससे प्राप्त आय में से उधारकर्ताओं से उधारदाता के खिलाफ कुल बकाया राशि को बनाए रखने/विनियोजित करने के लिए, जिसमें ऐसी बिक्री/हस्तांतरण/असाइनमेंट से संबंधित लागत और खर्च शामिल है।
- 18.4 इस समझौते के तहत, उधारदाता को उपलब्ध अधिकारों के बावजूद, उधारदाता को डिफॉल्ट की घटना घटित होने पर उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने के लिए कहने का अधिकार होगा, जिसके परिणामस्वरूप वे तत्काल देय और भुगतान देय हो जाएंगी।

18.5 उधारदाता को सूचना देना

यदि कोई संभावित डिफॉल्ट की घटना या डिफॉल्ट की घटना घटित होती है, तो उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को तुरंत उधारदाता को लिखित में सूचना दी जाएगी, जिसमें ऐसी संभावित डिफॉल्ट की घटना या डिफॉल्ट की घटना की प्रकृति का विवरण दिया जाएगा।

19. नकारात्मक अनुबंध (उधारकर्ता क्या नहीं कर सकता)

जब तक उधारदाता अन्यथा सहमत न हो:

- 19.1 ज़मानत में दी गई संपत्ति को बेचना, गिरवी रखना, पट्टा देना, समर्पण करना, किराए पर देना, या किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देना
- 19.2 ऋण की अवधि के दौरान, जमानत की संपत्ति के इस्तेमाल, कब्जे या बेचने के लिए किसी व्यक्ति, संस्था या सरकारी निकाय से कोई समझौता करना।

19.3 इस समझौते के तहत अपने किसी अधिकार या दायित्व को किसी व्यक्ति को उधारदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तांतरित या असाइन करना।

20. असाइनमेंट और स्थानांतरण

उधारदाता किसी भी समय ऋण या उसके किसी भाग को और/या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत पूरे या आंशिक अधिकारों और/या दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है, हस्तांतरित कर सकता है या नवीनीकृत कर सकता है। इसमें बैंक, वित्तीय संस्थान, विशेष उद्देश्य वाहन या ट्रस्ट (प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य सहित) शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की सहमति के बिना और/या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त दायित्व लगाए बिना किया जा सकता है।

उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि संबंधित विधि के अधीन उधारदाता के पास बकाया राशि को वसूलने का अधिकार है। उधारकर्ता विधि के तहत उधारदाता के अधिकारों, शक्तियों और उपचारों की स्वीकृति देता है और सहमत है कि उधारदाता इस काम के लिए वसूली एजेंट (रिकवरी एजेंट) नियुक्त कर सकता है। यदि ऋण राशि और/या बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये एजेंट बकाया वसूल सकते हैं। साथ ही यह एजेंट जमानत को लागू करने के लिए कार्रवाई भी कर सकते हैं। उधारदाता इन एजेंटों को वह सब करने का अधिकार दे सकता है, जो वह उचित समझता है

21. SARFAESI अधिनियम, 2002 का आवेदन

बैंक या उधारदाता को कानून के तहत ऋण वसूलने का अधिकार है। इसके अलावा, उधारकर्ता सहमति देता है कि उधारदाता वित्तीय संपत्तियों का सुरक्षीकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हितों के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधिनियम के तहत भी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है कि उधारदाता बकाया राशि वसूल सकता है, ऋण किसी और को सौंप सकता है और गिरवी रखी गई संपत्ति का अधिकार भी ले सकता है। उधारकर्ता इस प्रक्रिया में होने वाले सभी खर्चों के भुगतान के लिए सहमत है।

22. उधारकर्ता के अधिकारों पर रोक

इस संविदा या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज के तहत उधारकर्ता के सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों, शीर्षकों, हितों और दायित्वों को उधारकर्ता असाइन नहीं करेगा, स्थानांतरित नहीं करेगा, नवीनीकरण नहीं करेगा या किसी अन्य तरह से निपटान नहीं करेगा।

23. विवाद समाधान और प्रवर्तन

अगर पार्टियों के बीच सुविधा समझौते या किसी भी वित्तीय दस्तावेज के संबंध में या उसके कारण इसके उल्लंघन, समाप्ति या अवैधता ("**विवाद**"), को लेकर कोई विवाद, दावा या मतभेद होता है तो विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("**मध्यस्थता अधिनियम**") के अनुसार मध्यस्थता में संदर्भित और अंतिम रूप से सुलझाया जाएगा। मध्यस्थता एक एकल मध्यस्थ द्वारा होगी, जिसे पक्षों द्वारा सहमति से नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान या कानूनी स्थान मुंबई होगा और किसी भी निर्णय को मध्यस्थता के स्थान पर दिए गए निर्णय के रूप में माना जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी।

इसके अलावा, उधारदाता द्वारा यहां बताए गए अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारदाता के पास इस समझौते में बताई गई किसी भी घटना और/या नियमों, शर्तों, प्रतिज्ञाओं और वचनबद्धताओं के लिए उधारकर्ताओं के खिलाफ लागू कानून के किसी अन्य उपयुक्त प्रावधान के तहत किसी अन्य उपयुक्त उपाय का उपयोग करने का विशेषाधिकार होगा।

इसमें बताई गई किसी भी चीज़ को बुझाने के रूप में नहीं माना जाएगा, उधारदाता के अधिकारों और उपायों को सीमित या समाप्त करना, यदि उधारकर्ताओं के खिलाफ अभी भी या भविष्य में उपलब्ध है, उधारकर्ता के प्रमोटर, सुरक्षा प्रदाताओं और/या गारंटर्स को सूचित करता है, यदि कोई और/या कोई अन्य व्यक्ति या उनकी संबंधित संपत्तियों में से कोई भी, किसी भी लागू कानून/नियमों के तहत और उधारदाता इस तरह के अधिकारों/उपचारों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से हकदार होगा, चाहे वह कोई अन्य मध्यस्थता या अन्य कार्रवाही प्रारंभ हो, लंबित या जारी हो।

24. विविध मामलें

24.1 प्रशासनिक कानून

यह समझौता और पक्षों के बीच का संबंध भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित होगा। खंड 23 के प्रावधानों के अधीन, मुंबई की अदालतों को सभी वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

24.2 सूचनाएँ

उधारदाता उधारकर्ता को किसी भी संचार को लिखित रूप में करेगा। यह संचार व्यक्तिगत रूप से, एसएमएस (SMS), कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पंजीकृत डाक या फ़ैक्स द्वारा भेजा जा सकता है। उधारकर्ता, उधारदाता को अपने पंजीकृत ईमेल पते, फ़ोन या संदेश और संबंधित सेवाओं से संवाद करने की अनुमति देता है, इस संबंध में किसी प्रतिबंधित कानूनी/नियामक प्रावधान पर ध्यान दिए बिना। उधारकर्ता के संपर्क विवरण अनुसूची 2 में दिए गए हैं।

उधारकर्ता को सभी संचार उसके ऋण कार्यालय या समझौते में विशेष रूप से बताए गए पते पर भेजे जाएंगे।

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम पांच (5) कार्य दिवसों की सूचना देकर कोई वैकल्पिक पता, फ़ैक्स नंबर, विभाग या अधिकारी प्रदान कर सकता है।

24.3 अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)

समावेश के दौरान, अगर उधारदाता अपने नियंत्रण से बाहर की किसी घटना के कारण समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाता, तो वे ज़िम्मेदारियाँ उस घटना के खत्म होने तक स्थगित रहेंगी।

24.4 वितरण

ऐसी सभी सूचनाएँ और संचार तब प्रभावी माने जाएंगे, जब:

(i) अगर फ़ैक्स द्वारा भेजे जाते हैं, (तो सही फ़ैक्स नंबर की पुष्टि होने के बाद) (ii) अगर वितरण करने पर व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं, तो वितरण के समय (iii) अगर कूरियर द्वारा भेजे जाते हैं, (क) देश के अंदर एक (1) कार्य दिवस के बाद और (ख) विदेश भेजने पर पांच (5) कार्य दिवस के बाद, और (iv) अगर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाते हैं, तो सामान्य डाक समय में पहुंचने पर, चाहे वास्तव में मिले या न मिले, (v) अगर ई-मेल से भेजे जाते हैं, तो भेजने वाले के आउटबॉक्स से निकलने के बाद।

24.5 आंशिक अमान्यता

अगर इस समझौते का कोई हिस्सा किसी न्याय क्षेत्र या कानून के तहत कानूनी नहीं है, अवैध या लागू नहीं है, तो समझौते के बाकी हिस्से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वह हिस्सा दूसरे क्षेत्राधिकार के कानून के तहत वैध हो सकता है।

24.6 उपाय और छूट

इस अनुबंध के तहत, अगर उधारदाता किसी अधिकार या उपाय का इस्तेमाल नहीं करता या देरी से करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उस अधिकार को छोड़ दिया है। इसी प्रकार, किसी एक अधिकार या उपाय का इस्तेमाल करने से बाकी अधिकारों या उपायों का इस्तेमाल नहीं रुकता। इस समझौते में दिए गए अधिकार और उपाय अतिरिक्त हैं और कानून द्वारा दिए गए अधिकारों या उपायों को सीमित नहीं करते।

24.7 संशोधन और छूट

इस समझौते के तहत, किसी भी प्रावधान, अधिकार, उपाय या शक्ति की छूट तभी मान्य होगी जब वह लिखित में हो और संबंधित पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो। इस समझौते में कोई भी बदलाव लिखित में होना चाहिए और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। हालांकि, अगर अनुसूची 2 में कोई बदलाव करना है (ऋण राशि बढ़ाने के अलावा), तो उधारकर्ता के अनुरोध पर उधारदाता द्वारा उधारकर्ता के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए ईमेल से ये बदलाव किए जा सकते हैं।

24.8 उत्तरजीविता खंड

इस समझौते के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो समझौता समाप्त होने के बाद भी लागू रहेंगे, चाहे इस समझौते में कुछ भी विपरीत लिखा हो।

24.9 अधिकार प्रदान करना

हर उधारकर्ता दूसरे उधारकर्ताओं को यह सभी काम करने का पूरा अधिकार देते हैं जैसे ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, पैसे की मांग करना, भविष्य में और पैसे मांगना, पत्राचार करना, ऋण राशि बढ़ाना या घटाना और आंशिक या पूरा ऋण समय से पहले चुकाना। उधारकर्ता यह वचन देते हैं कि किसी एक उधारकर्ता के काम सभी उधारकर्ताओं के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से बाध्यकारी होंगे।

24.10 समझौते की पूरी समझ

सभी उधारकर्ता मानते हैं कि उन्होंने समझौता पढ़ और समझ लिया है। अगर कोई उधारकर्ता अनपढ़ है और/या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, तो उसे समझौते की शर्तों को उसकी मातृभाषा में पढ़कर समझाई गई हैं।

24.11 स्वीकृति पत्र

स्वीकृति पत्र की सभी शर्तें इस समझौते का हिस्सा मानी जाएंगी।

24.12 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत, दो पक्षों के बीच समझौतों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वैध माने जाते हैं। दोनों पक्ष मानते हैं कि यह समझौता और इससे जुड़े अन्य दस्तावेज़ जैसे उपयोग अनुरोध, स्वीकृति पत्र, नियम और शर्तें (सामूहिक रूप से "दस्तावेज़") इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर, वन-टाइम पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार या अन्य स्वीकृत तरीके शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हाथ से किए गए हस्ताक्षर के समान मान्य होंगे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि:

- क) दस्तावेज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उधारकर्ता द्वारा ही किए गए हैं और डेटा सुरक्षा कानून के अनुसार उचित रूप से प्रमाणित हैं;
 - ख) उधारकर्ता इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के कारण दस्तावेज़ों की वैधता पर आपत्ति नहीं करेगा, इस आधार पर कि इन दस्तावेज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में सहमति प्रदान की गई है;
 - ग) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया उधारकर्ता द्वारा की गई है और प्रमाणीकरण उपकरण तथा ईमेल और मोबाइल नंबर उधारकर्ता के नियंत्रण में थे और किसी तीसरे पक्ष ने इनमें छेड़छाड़ नहीं की;
 - घ) उधारकर्ता अपने उपकरणों, पासवर्ड संरक्षण, ईमेल पते और मोबाइल नंबरों, अन्य प्रकार के प्रमाणीकरण के साधनों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की सुरक्षा के स्वयं ज़िम्मेदार है और उधारदाता इनमें से किसी के भी तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा;
 - ङ) अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों से छेड़छाड़ करता है या किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उधारकर्ता के रूप में प्रस्तुत होता है, तो भी उधारकर्ता दस्तावेज़ों की वैधता पर आपत्ति नहीं करेगा;
 - च) उधारकर्ता ने व्यक्तिगत डेटा और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और सूचना के संरक्षण से संबंधित उधारदाता द्वारा किए गए उपायों के संबंध में उचित जाँच पूरी कर ली है, और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया से संतुष्ट है, तथा इस संबंध में उधारदाता द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता और पर्याप्तता से संतुष्ट है, जिसमें उधारदाता द्वारा तैनात प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा भी शामिल है; और
- उधारकर्ता दस्तावेज़ों की सभी नियम और शर्तों से पूरी तरह से अवगत है और उन्हें समझता है, जिसमें दस्तावेज़ों के तहत सेवाओं का लाभ लेने के लिए उधारदाता को दी गई इसकी व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत तारीख और जानकारी का स्थानांतरण, वितरण, उपयोग और भंडारण शामिल है। साथ ही उधारकर्ता भविष्य में ऐसे व्यक्तिगत डेटा और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा व जानकारी के स्रक्षण, उपयोग, भंडारण व स्रक्षण के संबंध में कोई आपत्ति या विवाद नहीं उठाएगा।

24.13 प्रतिरूप

यह समझौता डिजिटल और/या भौतिक रूप से कई प्रतिलिपियों में हस्ताक्षरित किया जा सकता है। सभी प्रतिलिपियों पर किए गए हस्ताक्षर का प्रभाव वैसा ही होगा जैसे कि वे एक ही दस्तावेज़ पर किए गए हों।

हस्ताक्षरित प्रतिलिपि को ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीडीएफ (.pdf) फॉर्मेट में भेजना भी मान्य होगा. इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के समान मानी जाएगी।

अनुसूची 1

शुल्क और प्रभारों की अनुसूची

क्रमांक संख्या	सेवाओं की सूची	विवरण
1	प्रोसेसिंग शुल्क	स्वीकृत ऋण राशि का 2% या मंजूरी पत्र के अनुसार
2	चेक/NACH/पूर्व-EMI/EMI बाउंस शुल्क	400 रुपये और लागू कर
3	देरी से किस्त चुकाने पर जुर्माना शुल्क	सालाना 18% और लागू कर
4	समय से पहले ऋण चुकाने का शुल्क	कुछ नहीं
5	संपत्ति की कानूनी और तकनीकी जांच शुल्क	एक संपत्ति के लिए प्रोसेसिंग फीस में शामिल, अतिरिक्त संपत्ति के लिए 4000 रुपये और लागू कर
6	ऋण वसूली शुल्क (कानूनी और आकस्मिक)	वास्तविक खर्च के अनुसार
7	डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जारी शुल्क	वास्तविक बैंक शुल्क के अनुसार
8	डिमांड ड्राफ्ट रद्द करने का शुल्क	500 रुपये और लागू कर
9	ब्याज दर बदलने का शुल्क	कंपनी की नीति के अनुसार
10	ऋण दस्तावेज़ों पर स्टांप शुल्क	राज्य स्टांप अधिनियम के अनुसार
11	NACH/चेक बदलने का शुल्क	500 रुपये और लागू कर
12	दोबारा बकाया न होने का प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क	250 रुपये और लागू कर
13	संपत्ति दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियां – हार्ड कॉपी / स्कैन इमेज (स्टोरेज से पुनःप्राप्त दस्तावेज़ों सहित)	2000 रुपये और लागू कर

14	ऋण बंद होने के बाद मूल संपत्ति दस्तावेज रखने का शुल्क	ऋण बंद होने के 30 दिन बाद प्रति माह 750 रुपये और लागू कर
15	बकाया या किस्त के चेक/DD/भुगतान के लिए ग्राहक के घर जाने का शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार
16	नकद संग्रह शुल्क	नकद संग्रह का 1% और लागू कर
17	ऋण समाप्ति पत्र / विवरण (तीन माह के भीतर एक से अधिक बार)	प्रति पत्र विवरण/300 रुपये और लागू कर
18	ऋण बंद होने पर सुरक्षा दस्तावेज और चेक लौटाने का शुल्क	बिना सुरक्षा वाले मामले में 1000 रुपये और लागू कर/संपत्ति के अलावा अन्य सुरक्षा वाले मामले में संपत्ति सुरक्षा वाले मामले में 2000 रुपये और लागू कर
19	CERSAI पंजीकरण शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार
20	CERSAI संशोधन शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार
21	गलत खाता विवरण के कारण RTGS/NEFT वितरण की विफलता का शुल्क	प्रति लेनदेन 150 रुपये और लागू कर
22	सुरक्षा संपत्ति बदलने का शुल्क	प्रति संपत्ति पर न्यायिक और तकनीकी सत्यापन सहित लागू कर दर के साथ 5000 रुपए प्लस लागू कर
23	बंधक/सुरक्षा बनाने का शुल्क	राज्य कानून के अनुसार
24	समय-समय पर राज्य या केंद्र सरकार की अधिसूचना/संशोधन के अनुसार कोई अन्य शुल्क लागू हो सकता है।	

नोट: ऊपर दिए गए शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं. नवीनतम शुल्क उधारदाता की वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.

उधारकर्ता का नाम: _____ सह-उधारकर्ता का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____ हस्ताक्षर: _____

सह-उधारकर्ता का नाम: _____ सह-उधारकर्ता का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

हस्ताक्षर: _____

सह-उधारकर्ता का नाम: _____

सह-उधारकर्ता का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

हस्ताक्षर: _____

उधारदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर